खण्ड-391, अंक-5
शुक्रवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(17 मार्च, 1989 ई0)

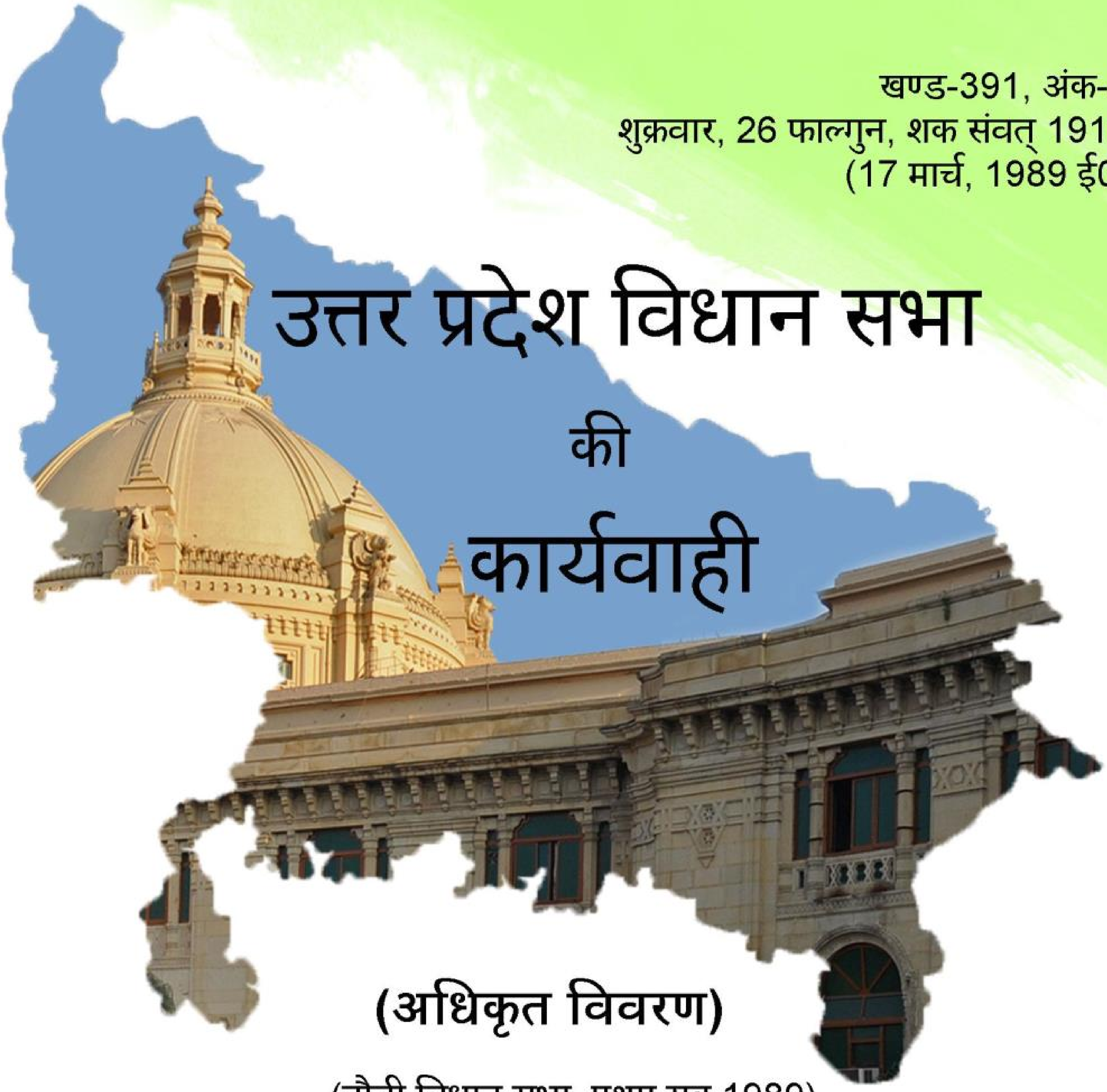

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 391 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	29
ठक्कर आयोग की रिपोर्ट संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव को लिये जाने की मांग	29
बाराबंकी के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा मजदूरों को भुगतान हेतु दी गयी धनराशि को हड़पने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद सहारनपुर में हिन्डन नदी तथा उसकी सहायक नदियों के पानी में प्रदूषण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद इलाहाबाद के द्वाबा क्षेत्र को अलग से जिला बनाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद गोण्डा की तहसील तुलसीपुर में मझगवां ताल के निकट नाले पर बने बीयर (बन्धी) के पुनर्निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	32
जनपद एटा के जिला गन्ना अधिकारी द्वारा ग्राम प्रतापपुर में देवपुर मार्ग के मिट्टी के निर्माण हेतु प्राप्त धन के दुरुपयोग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद बहराइच में ओला वृष्टि से हुई क्षति के राहत कार्यों में धन के दुरुपयोग होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
कानपुर नगर के जूही एस ब्लाक को मलिन बस्ती योजना में सम्मिलित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
वित्तीय वर्ष 1988--89 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान .. .. (प्रस्तुत किया गया।)	34
वित्तीय वर्ष 1989–90के आय-व्ययक के अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 89--सैनिक कल्याण, अनुदान संख्या 90--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण), अनुदान संख्या 91–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण), अनुदान संख्या 92--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जन जाति कल्याण) अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग .. (स्वीकृत)	35
वित्तीय वर्ष 1988--89 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर मतदान और संगत विनियोग विधेयक आज ही पारित किये जाने का प्रस्ताव	40
उत्तर प्रदेश विनियोग (1988--89 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1989 .. (पारित)	45
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	
नत्थियां	50

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों को अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
अमर नाथ सिंह, श्री	फतेहपुर	रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	राज बहादुर, श्री	जौनपुर
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	राजेश कुमार खेरा, श्री	ललितपुर
उर्मिला अग्निहोत्री एडवोकेट, कु0	एटा	रामनरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	रिछपाल सिंह बन्सल, श्री	मेरठ
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0	आगरा	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
चन्द्र सेन, श्री	जौनपुर	शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी-गढ़वाल
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर	श्रीनाथ सिंह श्री	वाराणसी
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	संकठा प्रसाद शास्त्री श्री	वाराणसी
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
प्रमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
बलदेव सिंह, कैप्टन	अलीगढ़	सुरेन्द्र सिंह, श्री	गढ़वाल
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी	सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले" श्री	बुलन्दशहर	सैयद जावेद अली सब्जपोश, श्री	गोरखपुर
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद	हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव		

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता विषयक योजना का प्रस्ताव

**1--श्री राजेंद्र कुमार गुप्त--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को भरणपोषण हेतु कोई आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो कितना रुपया मासिक तथा प्राप्त करने का तरीका क्या होगा ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)--

जी हां।

दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की एक नई योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में किया गया है। प्रस्ताव स्वीकार हो जाने अर्थिक सहायता की धनराशि एवं उसे प्राप्त करने के बार में नियम बनवा कर योजना चलायी जायेगी।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कोषाध्यक्षों के वेतन में विसंगति

**2--श्री बलराम यादव--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 सचिवालय में कोषा ध्यक्ष की जमानत की धनराशि रुपया 5000.00 जमा करने पर भी वर्ष 1947 के पूर्व से प्रति माह रु0 30.00 मात्र का विशेष वेतन दिया जाता है जबकि सचिवालय में ही वेतन वितरण दिवस को वेतन वितरण हेतु खोले जाने वाले काउन्टरों पर वेतन वितरण करने वाले प्रवर वर्ग एवं अवर वर्ग सहायकों को क्रमशः रु0 30.00 एवं रु0 15.00 अर्थात् कुल रु0 45.00 का भुगतान किया जाता है ? क्या शासन उपरोक्त विसंगति को कोषाध्यक्षों के कार्य संबंधी दायित्वों की वृद्धि को देखते हुए अपेक्षित वेतन वृद्धि रु0 150.00 प्रतिमाह करेगो ? यदि हां, तो कब तक ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

जी हां, उत्तर प्रदेश सचिवालय में कोषाध्यक्ष को जमानत की धनराशि रु0 5000.00 जमा करने पर प्रतिमाह रु0 30-00 का विशेष वेतन दिया जाता है। यह धनराशि वेतन पुरीक्षण समिति (1965) की संस्तुति के बाद निर्धारित की गयी है। प्रवर वर्ग एवं अवर वर्ग सहायकों को क्रमश. रु0 30-00 एवं रु0 15-00 अनावर्तक मानदेय दिया जाता है। वेतन समता समिति की संस्तुति/प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोषाध्यक्षों के विशेष वेतन में वृद्धि के संबंध में विचार कर यथोचित निर्णय लिया जायगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त]।

चौधरी मेसर्स चौधरी वुडवूल इण्डस्ट्रीज अतरौली, अलीगढ़ को आवन्टित प्रकाष्ठ का दुरुपयोग

*1--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद अलीगढ़ की मेसर्स चौधरी वुड वूल इन्डस्ट्रीज अतरौली को आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उ0प्र0 कानपुर की संस्तुति पर वन विभाग द्वारा वर्ष 84-85 एवं 85-86 में बांकली तथा यूकेलिप्टस आदि का आवंटन किया गया था जिसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 30-12-87 को उद्योग निदेशक उ0प्र0 को भेजा गया पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य और उक्त मामले में अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

एव ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)---

मेसर्स चौधरी वुडवूल इण्डस्ट्रीज अतरौली (अलीगढ़) द्वारा आवंटित प्रकाष्ठ का दुरुपयोग करने के संबंध में माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 30-12-87 उद्योग निदेशक को प्राप्त हुआ था जिसके बारे में स्थिति निम्न प्रकार है:---

उद्योग निदेशक की संस्तुति पर वन विभाग की राज्यस्तरीय शीर्ष समिति द्वारा उक्त इकाई को वर्ष 1984-85 में 350 घनमीटर वाकली, 156 घनमीटर पेपर मलबरी तथा 10 घनमीटर सिरस की लकड़ी आवंटित की गई जिसके विरुद्ध इकाई द्वारा 211 घनमीटर वाकली 156 घनमीटरपेपर मलबरी तथा 10 घनमीटर सिरस लकड़ी उठाई गई तथा वर्ष 1985-86 में केवल 86 घनमीटर खरपत, ढाक, सिरस पेपर मलबरी, बहेड़ा, गूलर इत्यादि का आवंटन किया गया था। आवंटन के विरुद्ध इकाई द्वारा 9 घनमीटर लकड़ी उठायी गयी। इस सब लकड़ी का सदुपयोग किया गया है।

उपरोक्त कोमल काष्ठ के अतिरिक्त इस इकाई को वन विभाग द्वारा वर्ष 1984-85 में 1279 घनमीटर यूकिलिप्ट्स की अपूर्ति की गई। इकाई से प्राप्त सूचना अनुसार इकाई के एजेण्ट ने 451 घनमीटर लकड़ी वन निगम के डिपो से उठाकर बेंच लिया तथा गायब हो गया। एजेण्ट के विरुद्ध इकाई द्वारा थाना कालाढूंगी जिला नैनीताल में रिपोर्ट अंकित कराई गई है।

मानक ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार के कतिपय उद्योगों क उत्पादों में सुधार के लिए प्रयास

*2--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या उद्योग मंत्री को यह ज्ञात है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने राज्य सरकार के चार उद्योगों के उत्पादों में गुणवत्ता स्तर गिरने पर उनके आई0एस0 लाइसेंस वर्ष 88 में निरस्त कर दिये हैं? यदि हां, तो वह कौन-कौन से उद्योग हैं? उनमें सुधार हेतु क्या कोई प्रयास किया गया है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्रीमती बेनी बाई--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता (श्री एस0 एम0 जैन), अस्थाई खण्ड (प्रथम) सार्वजनिक निर्माण विभाग फैजाबाद द्वारा पुलिया निर्माण में किये गये घोटाले की जांच

*3--श्री दीपचन्द्र सोनकर--

क्या सा0नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थाई खण्ड (प्रथम) सार्वजनिक निर्माण विभाग फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता श्री एस0 एम0 जैन ने वर्ष 1986 में घाघरा पुल के समीप राष्ट्रीय मार्ग पर पुलिया की खुदाई से पेन्टेड मार्ग पर रेत का भारी ढेर लगवा दिया था, जिसके कारण 14 कोसी परिक्रमा के दिन भारी दुर्घटना हुई और सैकड़ों लोग मर गये? यदि हां, तो श्री जैन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

1986 में श्री एस0 एम0 जैन अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0खण्ड, फैजाबाद के कार्यकाल में घाघरा पुल के पास राष्ट्रीय मार्ग पर एक पुलिया का निर्माण किया गया था। निर्माण के समय यातायात हेतु एक डाईवर्जन बना दिया गया था। 14 कोसी परिक्रमा के दिन दिनांक 9-11-86 को दुर्घटना हुई। शासन द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग द्वारा दुर्घटना की जांच की जा रही है। जांच आख्या जो अभी प्रतीक्षित है, के प्राप्त हो जाने पर ही कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न उठेगा।

[शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद झांसी के विभिन्न खण्डों में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की मांग

*1--कुंवर मानवेन्द्र सिंह --

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी जिले के विभिन्न खण्डों में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कितने ऐसे कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी हैं जिन्हें विभाग में दैनिक वेतन पर कार्य करते हुए तीन वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है? ऐसे कर्मचारियों को सेवा में अब तक नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उनकी सेवायें नियमित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

झांसी जिले के विभिन्न खण्डों में चतुर्थ एव तृतीय श्रेणी के पदों पर कोई कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के टेनरी एवं चमड़ा उद्योग के श्रमिकों के वेतन में वृद्धि

*2--श्री राज किशोर सिंह --

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के टेनरी एवं चमड़ा उद्योग के श्रमिकों के लिए 10 मार्च, 88 को विधान भवन में स्वयं उनकी अध्यक्षता में आहूत त्रिदलीय सम्मेलन में 78 रु0 प्रतिमाह की अन्तरिम वेतन वृद्धि सितम्बर, 1987 से देना तय हुआ था? यदि हां, तो तत्संबंधी अधिसूचना जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सैयद सईदुल हसन)--

राज्य के चमड़ा एवं चर्म वस्तु निर्माण उद्योग में नियोजित कर्मकारों की मांगों के संबंध में दिनांक 10-3-88 को आयोजित राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन म श्रमिक प्रतिनिधियों की अपेक्षानुसार श्रमिकों के वेतन रु0 78 दिसम्बर' 1987 से प्रतिमाह वृद्धि किये जाने पर विचार-विमर्श हुआ था लेकिन सेवायोजकों के प्रतिनिधियों के उपस्थित न होने के कारण कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया था।

अन्तरिम राहत संबंधी अधिसूचना दिनांक 26-6-88 को जारी की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के फाइनेन्सियल एडवाइजर (श्री आर0एन0त्रिपाठी) द्वारा किये गये घोटाले की जांच

*3--श्री अचल सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सेतु निगम के फाइनेन्सियल एडवाइजर श्री आर0एन0त्रिपाठी द्वारा बिना बाउचर और कैशमेमों के लाखों रुपया विभाग से हड़पने संबंधी प्रश्नकर्ता का एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांकित 11-4-88 चेयरमैन उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच परिणाम से सदन को अवगत करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11-4-88 में उल्लिखि आरोपों की जांच करायी जा रही है।

चालू वित्तीय वर्ष में खोले गये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या

*4--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में कितने नये आई0टी0आई0 खोले जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है? क्या यह सही है कि पदों के सृजन के अभाव में नये विद्यालयों का खोला जाना खटाई में पड़ा है?

श्री सैयद सईदुल हसन--

अगस्त 1988 से चालू होने वाले सत्र में प्रदेश में 10 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 16 ब्रांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) प्रारम्भ करने का निर्णय है।

जी नहीं।

कानपुर जूट उद्योग में अघोषित बन्दी को समाप्त करने एव श्रमिकों को पूरे वेतन भुगतान की मांग

*5--श्री ब्रहम दत्त द्विवेदी--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें कानपुर जूट उद्योग में 13 अप्रैल, 1987 से चली आ रही अघोषित बन्दी की जानकारी है? यदि हां, तो इस बन्दी का कारण क्या है? सरकार ने इस अघोषित बन्दी को समाप्त कराने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है? क्या सरकार प्रभावित श्रमिकों को पूरा वेतन भुगतान कराने की कार्यवाही करेगी?

श्री सैयद सईदुल हसन--

जी हां। कानपुर जूट उद्योग में दिनांक 16-4-87 से उत्पादन कार्य बन्द है। बन्दी का कारण आर्थिक कठिनाई है।

इस उद्योग को चालू कराने के लिए उद्योग विभाग ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड को सहायता पैकेज भेज रखा है।

प्रतिष्ठान के श्रमिकों को अप्रैल, 1987 से अक्टूबर, 1988 तक का वेतन भुगतान कराने के संबंध में उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथा समय संदाय) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। इनके कार्यान्वयन के लिए प्रतिष्ठान की संपत्ति राजस्व विभाग द्वारा संबद्ध की जा चुकी है।

*6--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।)

इन्डिस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट की परिधि में आने वाले समस्त कारखानों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

*7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट की परिधि में आने वाले समस्त कारखानों में यह प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार विचार कर रही है कि मालिकान बैठकी घोषित करने के पूर्व सरकार से अनुमति प्राप्त कर लें? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब से हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सैयद सईदुल हसन--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

100 या इससे अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर कुछ शर्तों सहित यह व्यवस्था लागू है।

जनपद देवरिया के पड़रौना में कप्तानगंज-तमकुही रोड पर सा0नि0वि0 की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

*8--श्रीमती शारदा देवी--

क्या सा0 नि0 मंत्री को ज्ञात है कि जनपद देवरिया के पड़रौना में कप्तानगंज-तमकुही रोड पर अराजी नं0 1491/1 रकबा 0.24 डी0 जमीन सा0 नि0 विभाग की है जिस पर अवैधानिक रूप से इसू, समीउल्लाह, रज्जाक, मिठाइयां, मुसम्मात आदि ने फूस के मकान व गुमटी रख लिए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की पटरी पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता -

*9--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह -

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं पूर्ति

*10--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1986-87 तथा 87-88 में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने का कितना लक्ष्य निर्धारित था और उसमें से कितनी सफलता प्राप्त हुई ? इस लक्ष्य के पूरा न होने के कारण क्या है और आगामी वर्षों में रोजगार देने की शत-प्रतिशत पूर्ति हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्रीमती बेनी बाई--

वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में स्वतः रोजगार योजना का लक्ष्य क्रमशः 31, 300 एवं 15,650 निर्धारित था। वर्ष 1986-87 में 31,300 लक्ष्य के विपरीत 14,924 अभ्यर्थियों को ऋण वितरित किया गया एवं वर्ष 1987-88 में दिसम्बर, 1988 तक 9233 अभ्यर्थियों को ऋण वितरित किया गया है।

बैंकों द्वारा जिला उद्योग केन्द्र से चयनित आवेदन-पत्रों पर ऋण की स्वीकृति व ऋण वितरण में विलम्ब।

विभिन्न बैंकों को भेजे गये प्रार्थना-पत्रों पर ऋण स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा बैंकों के शीर्षस्थ अधिकारियों का ध्यान बार-बार इस ओर आकृष्ट किया गया है तथा राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बैंकों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

*11--श्री भगौती सिंह तथा--

श्री सुखपाल पाण्डे--

[7 वें गुरुवार में ता0प्र0सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी में मधुबन-मझवारा (शहीद) मार्ग के निर्माण में ली गयी भूमि का मुआवजा दिया जाना

*12--श्री विष्णु देव --

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी में मधुबन-मझवारा (शहीद) मार्ग जिसका निर्माण कार्य 6-7 वर्ष पूर्व हुआ था, में ली गयी भूमि ग्राम नन्दौर व ग्राम सीधा हिलासपुर का मुआवजा संबंधित किसानों को प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो इतने दिनों तक मुआवजा न देने के लिये कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी और कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों को लागू करने की मांग

*13--- श्री रघुबर दयाल वर्मा---

क्या हरिजन एव समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन माननीय छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में किया है? यदि हां, तो उक्त आयोग की संस्तुतियां क्या है और उन्हें शासन द्वारा लागू न करने के क्या कारण हैं?

श्रीमती दीपा---

जी हां।

संस्तुतियां बहुत ही विस्तृत हैं, जिसका उल्लेख उक्त आयोग की रिपोर्ट में किया गया है।

चूंकि इस बीच भारत सरकार द्वारा वी0पी0 मण्डल आयोग का गठन कर दिया गया था। अतः श्री छेदी लाल साथी आयोग की रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियों पर प्रदेश शासन द्वारा कार्यवाही प्रतीक्षित है।

गोरखपुर एवं देवरिया जनपद के पटनवार जाति को पिछड़ी जाति घोषित करने की मांग

*14--- श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर एवं देवरिया जनपद में रहने वाले पटनवार जाति के लोग जिनकी सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति कुर्मी जाति के समान ही है, को कुर्मी जाति की तरह "पिछड़ी जाति" घोषित करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा---

पिछड़ी जातियों का चिन्हींकरण करने के लिए मा0 मंत्रि परिषद् की उप समिति का गठन किया गया है और उसके द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी।

*15---डा0 दिनेश जौहरी---

[दिनांक 14-2-89 को अता0 प्र0 सं0 155 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश नियमों में एकरूपता लाने की मांग

*16--श्री अर्जुन सिंह यादव---

क्या श्रम मन्त्री को ज्ञात है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु नियमों में परिवर्तन किया जाता है तथा प्रदेश के समस्त संस्थानों के प्रवेश नियमों में एकरूपता नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी प्रवेश हेतु पूरे प्रदेश में एकरूपता लाने की कृपा करेंगे?

श्री सैयद सईदुल हसन---

जी नहीं।

प्रत्येक वर्ष प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अर्हकारी परीक्षा के योग्यतांक के आधार पर प्रवेश किया जाता रहा है। शिक्षा सत्र वर्ष 1988 में 20 इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रदेश स्तर पर आयोजित एक संयुक्त परीक्षा के आधार पर योग्यता निर्धारित करके प्रवेश किया गया है। शेष व्यवसायों में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता निर्धारित करके ही प्रवेश किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में विधवा विकलांग पेंशन हेतु धन का आवंटन

*17-श्री विक्रमादित्य पाण्डेय---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में गत दो वर्ष विधवा, विकलांग पेंशन की नयी स्वीकृति के लिए धन का आवंटन नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी बलिया जनपद को इस वर्ष अधिक धन आवंटित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा---

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण नयी स्वीकृतियों के लिए अतिरिक्त धन का आवंटन नहीं किया गया है।

जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वर्ष 1988-89 में बलिया जनपद को अधिक धन आवंटित करना संभव नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा/वृद्धि पुनर्नियुक्ति में विभागाध्यक्ष की सहमति एवं चरित्र पंजिका का ध्यान रखा जाना

*18-श्री दीप चन्द्र सोनकर---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सा0नि0 विभाग में विगत 3 वर्ष में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवावृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति दी गयी है? क्या उनके सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति के प्रक्रम में विभागाध्यक्ष की सहमति एवं चरित्र पंजिका का ध्यान रखा गया है? यदि हां, तो कितने में? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी---

विगत 3 वर्ष में 2 अधिकारियों तथा 2 कर्मचारियों को सेवावृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति दी गयी है।

कर्मचारियों की सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति के मामले में विभागाध्यक्ष की सहमति एवं चरित्र पंजिका का ध्यान रखा गया है।

अधिकारियों की सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति उनके दीर्घ अनुभव एवं कार्य को देखते हुए जनहित में में दी गयी है।

रुदौली बखिरा मार्ग पर आमी नदी पर छपिया घाट का पुल का निर्माण

*19-श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सितम्बर, 84 में रुदौली बखिरा मार्ग पर आमी नदी के ऊपर छपिया घाट का पुल सेतु निगम द्वारा निर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश प्रसारित हुआ था? क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इस पुल को बन जाने के बाद उतरौला जनपद गोण्डा से डुमरियागंज, रुधौली, बखिरा, शहजनवां होते हुए गोरखपुर के बीच की दूरी लगभग 50 कि0मी0 से अधिक कम हो जाती है और इस समय आमी नदी पर जो लकड़ी का पुल छपियाघाट पर बना हुआ है उस पर न तो भारी वाहन ही जा सकते हैं और नहीं जून से सितम्बर के बीच उस पर कोई यातायात चल पाता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस अत्यन्त आवश्यक जनहित की सुविधा हेतु पुल का निर्माण कार्य तुरन्त प्रारम्भ किये जाने हेतु सेतु निगम को आदेशित करने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां।

जी नहीं। दूरी का अन्तर मात्र तीन किलोमीटर है।

जी हां।

जी हां। सेतु निगम को कार्य शीघ्र कराने हेतु आदेश पारित कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*20--श्री रामपाल वर्मा--

(दिनांक 3-3-89 को अता0 प्र0 सं0 16 द्वारा उत्तरित)

अतारांकित प्रश्न

जनपद गाजीपुर के कतिपय विकास खण्डों को आई0सी0 डी0 एस0 (आंगन बाड़ी) योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव

1--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खंड कासिमाबाद मरदह एवं बाराचवर को आई0सी0डी0एस0 (आंगनबाड़ी) के अन्तर्गत लेने के सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दी जायेगी तथा इस योजना को उक्त विकास खंडों में कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा---

बाल विकास परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देवरिया में नारायन गांव के निकट तिरमुहानी घाट पर पुल का निर्माण

2--श्री सूर्य प्रताप शाही---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में छोटी गण्डक नदी में नौतन हथियागढ़ में तथा खनुआ नाले पर नारायण गांव के निकट तिरमुहानी घाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री जी को 3--12--87 को पत्र दिया गया था जिस पर उन्होंने उन स्थानों पर "पुल का निर्माण कराया जाय" के स्पष्ट आदेश सा0नि0वि0को दिये थे ? यदि हां, तो उस संदर्भ में क्या प्रगति हुई है ? श्री लालजी सिंह विशेष सचिव, सा0 नि0 वि0 के पत्र सख्या--18 जनवरी, 88 जिससे प्रश्नकर्ता को सूचित किया गया था कि "संबंधित अधिकारी से इस संबंध में आख्या/संस्तुति मांगी जा रही है, प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी", पर क्या आख्या और संस्तुति सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उन स्थानों पर पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

जी, नहीं।

पुल निर्माण के औचित्य के सम्बन्ध में आख्या मांगी गयी है।

जो, हां।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर देवरिया सीमा पर स्थित छोटी गण्डक केटेढवा काशी छपरा एवं बालाबाबा के घाट पर पुल निर्माण की मांग

3--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने कुछ माह पूर्व शासन को एक पत्र लिखकर गोरखपुर देवरिया सीमा पर स्थित छोटी गण्डक के टेढ़वा काशी छपरा एवं बालाबाबा के घाट पर पुल बनवाने की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार पुल बनवाने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जनपद के कतिपय मार्गों के पैचिंग कार्य में व्यय धन

4--श्री अफसर यू0 अहमद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में बखिरा सहजनवां मार्ग और मेंहदावल खलीलाबाद मार्गों पर पैचिंग कार्यों और पटरी बनाने पर कितना धन वर्ष 87-88 में व्यय किया गया है। बखिरा सहजनवां मार्ग पर पटरी चौड़ी न कराये जाने के क्या कारण हैं? क्या उक्त मार्ग को चौड़ा किया जायेगा? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1987-88 में बखिरा सहजनवा मार्ग के पैचिंग कार्यों पर 11,400.00 रुपया तथा मेंहदावल-खलीलाबाद मार्ग के पैचिंग कार्यों पर 15,200.00 रुपया व इस मार्ग की पटरी बनाने पर 1,04,842.50 रुपया व्यय हुआ। बखिरा सहजनवा मार्ग की पटरी बनाने हेतु कोई धन व्यय नहीं किया गया।

वर्ष 1987-88 की सूखा राहत योजना के अन्तर्गत राज्य मार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों पर पटरी चौड़ा करने के कार्य स्वीकृत किये गये थे। विषयगत मार्ग उक्त श्रेणी का मार्ग नहीं है।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

वाराणसी जनपद के पिंडवा ब्लाक के कतिपय स्थलों पर आर्य हिन्दू पाठशाला की इमारत बनवाने की मांग

5--श्री राम सजीवन--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के ब्लाक पिंडवा में सहमलपुर, फूलपुर किरतपुर, पतिराजपुर में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा आदि हिन्दू पाठशाला चलाया जा रहा है जहां इमारत ही नहीं है? क्या सरकार तीनों स्थलों की इमारत बनवाने की कृपा करेगी?

श्रीमती दीपा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

6--श्री मित्रसेन--

(6 वें शुक्र में अता0प्र0सं0 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश की चीनी मिलों में सेवारत एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारियों को पी0एम0एस0 ग्रेड दिलाये जाने की मांग

7--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 30-1-88 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था, जो कानपुर शुगर वर्क्स के चीनी प्रतिष्ठानों में सेवारत एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारियों को पी0एम0एस0 ग्रेड दिलाने के संबंध में था? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री सैयद सईदुल हसन--

जी हां।

प्रदेश की चीनी मिलों में सेवारत एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारियों को पी0एम0एस0 ग्रेड दिलाये जाने का मामला चीनी उद्योग के लिये गठित स्थायी त्रिदलीय समिति को शासन द्वारा संदर्भित किया गया है, जिसकी अनुशंसायें प्रतीक्षित हैं।

8--श्री जय नारायण तिवारी--

(7 वें बुध में अता0प्र0सं0 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बस्ती के कतिपय राजमार्ग में किसानों की अध्याप्ति की गयी भूमि का मुआवजा

9--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सा0नि0मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत मेंहदावल लोहरसन मार्ग का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ ? गनवरिया चौराहा से लोहरसन के बीच ग्राम सांथा तथा लोहरसन के किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि इस मार्ग में ली गयी तथा उनसें से किन-किन किसानों को प्रति हेक्टेयर की दर से कितना-कितना मुआवजा कब भुगतान किया गया और किन-किन किसानों को अभी तक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करते हुए संबंधित दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे एवं जिन किसानों का मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है उन्हें क्षतिपूर्ति का भुगतान मुआवजे के साथ दिलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद बस्ती के अन्तर्गत मेंहदावल-लोहरसन मार्ग का निर्माण कार्य मार्च, 1983 में पूर्ण हुआ। गनवरिया चौराहा से लोहरसन के बीच ग्राम साथा में 19 लोगों की कुल 3.391 एकड़ तथा ग्राम लोहरसन में 24 लोगों की 3 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। ग्राम लोहरसन में गाटा संख्या 557 से .0142 एकड़ अर्जित भूमि के प्रतिकर रु0, 2254.18 मतरुक करके राजकीय कोष में आर0डी0 मद में जमा कर दिये गये हैं। शेष सभी व्यक्तियों को उनकी अर्जित की गयी भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है जिसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 50 पर)

जनपद एटा के जसलेर विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय मार्ग को बनवाने की मांग

10--श्री प्रेमपाल सिंह--

क्या सा0नि0मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर में जलेसर से इसौली, जलेसर से जौनपुर, जनावली से रोहिना मिर्जापुर आदि एक दर्जन सड़कें अधूरी पड़ी हैं ? क्या मंत्री जी जनहित में इन सड़कों को पूरा कराने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में स्वीकृत मार्गों में से केवल 8 मार्ग अधूरे/निर्माणाधीन हैं। जलेसर से जौनपुर नाम का कोई मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन नहीं है।

प्रश्नगत निर्माणाधीन मार्गों को पूरा कराया जाना, भूमि विवाद समाप्त होने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मा0 विधायकों के शिकायती पत्र

11--श्री गजराज सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 जनवरी, 1988, जो कि अनुभाग अधिकारी/सा0नि0अनु0-6 तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं जांच करने के आदेश करेगी ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इनके विरुद्ध श्री राधेश्याम विधायक के पत्र दिनांक सितम्बर, 1988 तथा मूलचन्द्र विधायक के पत्र दिनांक 9 अगस्त, 1988 व 21 जनवरी, 1989 भी उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के अभिलेखों से ऐसे किसी पत्र का प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

माननीय विधायक श्री राधेश्याम का पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 1988 व माननीय विधायक श्री मल चन्द्र का पत्र दिनांकित 9-8-88 प्राप्त हुए हैं।

प्राप्त पत्रों पर विचारोपरांत कोई कार्यवाही अवश्यक नहीं पायी गयी।

जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों में हरिजन आवास बनाने की मांग

12—श्री प्रेमपाल सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा-विधान सभा क्षेत्र जलेसर में ग्वालियर, पलौदो, मिसौली, खन्नापुर, पटना, पिलायतरा जरानी रेगुआ आदि गांवों में हरिजन आवास अधूरे बने पड़े हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में इनको शीघ्र पूरा करायेंगे यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा—

इस संबंध में पूर्ण सूचना विवरण उपलब्ध कराने के लिये प्रबन्ध निदेशक, हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0, को निर्देश दे दिये गये है।

सूचना प्राप्त होने पर तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टिकोण से सभी पहलुओं का परीक्षण करके नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद झांसी के एरच घाट पुल के पहुंच मार्ग में दबी जमीन से प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान

13—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के कस्बा एरच में एरच घाट पुल के लिये बनाये गये बाई पास मार्ग में कितने व्यक्तियों की जमीन दब गई? क्या शासन ने उन व्यक्तियों को उनकी भूमि का मुआवजा उपलब्ध करा दिया है? यदि नहीं, तो मुआवजा कब तक वितरित कर दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद झांसी के कस्बा एरच में एरच घाट पुल के पहुंच मार्ग में 44 व्यक्तियों की भूमि प्रभावित हुई है। उक्त भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु 5-00 लाख रुपये की धनराशि जिलाधिकारी झांसी को उपलब्ध करा दी गयी है, परन्तु उसका भुगतान अभी तक सम्बन्धित व्यक्तियों को नहीं किया गया है क्योंकि प्रश्नगत भूमि के अर्जन की कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है।

प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित एवं अन्य वस्त्र उद्योगों में कार्यरत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी

14—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित वस्त्र उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन क्या है? कानपुर के बाहर प्रदेश के वस्त्र उद्योगों में न्यूनमम वेतन क्या एक समान है या अलग-अलग? यदि एक समान है तो वह क्या है और यदि अलग-अलग है तो कहां पर क्या मजदूरी है?

श्री सैयद सईदुल हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

लखनऊ के कतिपय कालोनियों के अध्यासियों को विद्युत व्यवस्था एवं प्राप्त शिकायतों का निस्तारण

15—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कालोनी राजाजीपुरम, मल्टी स्टोरी में अध्यासियों की विद्युत व्यवस्था हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग की ओर से इलेक्ट्रिकल कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो उक्त कालोनी में विद्युत अनुरक्षण पर वित्तीय वर्ष 1988–89 के बजट में से कुल कितने रुपयों का प्राविधान किया गया था? उसमें से मार्च, 88 से जनवरी, 89 तक कितना पैसा खर्च किया जा चुका है और कितना पैसा शेष है तथा जून 88 से जनवरी 89 तक बिजली के संबंध में उक्त कालोनी के कार्यालय पर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत कर्मचारियों की व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुरक्षण खण्ड द्वारा की गयी है।

विद्युत अनुरक्षण पर किसी भी वित्तीय वर्ष के बजट में अलग से कोई प्राविधान नहीं किया जाता है। जनवरी, 1989 तक उक्त कालोनी पर लगभग रुपया 32,000·00 की स्वीकृतियां दी गयी थीं जो जनवरी, 1989 के अन्त तक कालोनी के अनुरक्षण एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय हो चुकी है।

जून 1988 से जनवरी, 1989 तक बिजली के संबंध में कुल चार सौ सोलह शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से कुल तीन सौ चौरानबे शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

जनपद फैजाबाद के बीकापुर मवई इनायत नगर मार्ग की स्वीकृति

16—श्री मित्रसेन—

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बीकापुर मवई इनायतनगर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने स्टेट सेक्टर से की है? यदि हां, तो इसकी कुल लम्बाई क्या है और अवशेष भाग के निर्माण के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

बीकापुर इनायत नगर मार्ग के 16.00 किमी0 की स्वीकृति राज्य सेक्टर से दी जा चुकी है। मार्ग की कुल लम्बाई 22.7 कि0मी0 है शेष 6.7 कि0मी0 में से 1 कि0मी0 लेपित है। तथा 4.6 कि0 मि0 खड़ंजा स्तर तक निर्मित है। अवशेष कार्यों की स्वीकृति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश के विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या

17—श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में ऐसे कितने युवक वर्ष 1985 से दिसम्बर, 1988 तक पंजीकृत हैं जो ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा पाकर बेरोजगार हैं और उनमें से कितनों को गत वर्षों में रोजगार प्रदान किया गया तथा जिन्हें रोजगार नहीं दिया जा सका उनको रोजगार देने की सरकार की कौन सी योजनायें हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सैयद सईदुल हसन—

प्रदेश के विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट पंजीकृत अभ्यर्थियों की

संख्या तथा उसके समक्ष सेवायोजित हुए अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है:—

वर्षान्त	पंजीकरण		सेवायोजित	
दिसम्बर	स्नातक	स्नातकोत्तर	स्नातक	स्नातकोत्तर
1985	103,324	21958	27.57	789
1986	86,960	19794	2587	489
1987	83,329	19611	1904	400

वर्ष 1988 की सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रम विभाग द्वारा सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से अभ्यर्थियों का पंजीयन कराया जाता है तथा नियोजकों द्वारा मांगे जाने पर उनके नाम भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त बेरोजगार अभ्यार्थियों को व्यवसायिक मार्ग निर्देशन प्रदान किया जाता है तथा स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायतों की जांच व कृत कार्यवाही

18—श्री सरदार सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम शुक्रवार के अता0प्र0—6 के उत्तर के संबंध क्या सा0नि0 मंत्री बतायेंगे कि 36 शिकायतें किन-किन अधिकारियों को कब-कब मिलीं और जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला सीतापुर के खैराबाद में बाई पास बनाया जाना

19—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर में खैराबाद के पास बाई-पास बनाने के बारे में प्रश्नकर्ता का कोई मांग पत्र 9 से 23 अगस्त, 88 के बीच किसी दिन मिला ? यदि हां, तो बाई-पास बनाने की प्रगति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

20—श्री जयनारायण तिवारी—

[7वें बुध में अता0प्र0सं0 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अधिशासी अभियन्ता (श्री राजेन्द्र कुमार) प्रांतीय खण्ड, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्र

21—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता श्री राजेन्द्र कुमार प्रांतीय खण्ड, आजमगढ़ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2—5—88 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अधीक्षण अभियन्ता, 28वां वृत्त बरेली द्वारा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का निलम्बन, बहाली, संबंधी मामलों का अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा निस्तारण

22—श्री सरदार सिंह—

क्या सा0नि0मंत्री की जानकारी में है कि अधीक्षण अभियन्ता, 28 वां वृत्त बरेली ने पत्रांक 1772/932 ई0 वी0 पी0 एफ0—28/88 दिनांक 15—4—88 द्वारा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का निलम्बन, बहाली तथा निलम्बन अवधि के मामले को निपटाने का अधिकार अधिशासी अभियन्ताओं को प्रदत्त करने के निर्देश दिए हैं ? यदि हां, तो बतायेंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण भल्ला, श्री मो0 शकील एवं श्री धर्मवीर के निलम्बन संबंधी मामलों का निस्तारण अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

23—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[7 वें शुक्र के लिए स्थगित]

लखनऊ स्थित विभिन्न विधायक निवासों में सिविल अनुरक्षण एवं विद्युत पर व्यय धन की टेक्नीकल सेल द्वारा जांच की मांग

24—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण एवं राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित विभिन्न विधायक निवासों पर मार्च, 1986 से दिसम्बर, 1988 के अन्त तक सिविल अनुरक्षण व विद्युत अनुरक्षण पर कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच टेक्निकल सेल द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में नियुक्त दाई/चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन मान दिये जाने की मांग

25—श्री बलराम यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में जो चौकीदार/दाई नियुक्त किये गये हैं उनको सरकार से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतनमान दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं।

आवर्तक अनुदान पोषित प्राइमरी कन्या पाठशालाओं में दाई का प्राविधान है जिसे 45 रु0 प्रतिमाह मानदेय देने की व्यवस्था है। चौकीदार का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न यही उठता।

बाल विकास परियोजना अधिकारी विकास खंड बिजुआ (भीरी) जिला—लखीमपुर (खीरी) के विरुद्ध जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

26—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री पी0 के0 मिश्रा तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुर (खीरी) की रिपोर्ट पर डा0 कंचन देवी, बाल विकास परियोजना अधिकारी विकास खण्ड, बिजुआ (भीरी) जिला-लखीमपुर (खीरी) के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 103/87 धारा—409/420/467/468 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत अंकित हुआ है ?

यदि हां, तो उक्त एफ0आई0आर0 क्या है ? क्या डा0 कंचन देवी ने पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर (खीरी) को दिनांक 27 दिसम्बर, 88 को अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किया है जो उक्त पुलिस अधीक्षक को दिनांक 3 जनवरी, 89 को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो डा0 कंचन देवी का उक्त लिखित उत्तर क्या है ? इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या यह सच है कि डा0 कंचन देवी को दिनांक 23 सितम्बर, 1987 से निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उनको अब तक आरोप पत्र प्रदान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि डा0 कंचन देवी ने अपने विरुद्ध लगाये गये कथित आरोपों से संबंधित साक्ष्य एवं अभिलेखों की प्रतिलिपि मांगी है ? यदि हां, तो अब तक उन्हें सभी अपेक्षित अभिलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती दीपा—

जी हां।

एफ0आई0आर0 की प्रतिलिपि प्राप्त की जा रही है।

जी हां।

डा0 कंचन देवी का उक्त पत्र मूलरूप में पुलिस अधीक्षक द्वारा डा0 कंचन देवी को 16 जनवरी, 89 को इस टिप्पणी सहित वापस भेज दिया गया है कि वे अपने को निर्दोष होने के दस्तावेज विचरण के समय न्यायालय में प्रस्तुत करें।

जी हां।

जी हां प्रदान किया जा चुका है।

बाल विकास परियोजना विजुआ (भीरा) से संबंधित वांछित अभिलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध करायी जा चुकी हैं।

जनपद गोण्डा के पचपेड़वा–उतरौला मार्ग पर लेपन कार्य कराने की मांग

27—श्री अरुण प्रताप सिंह तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रांतीय खंड सा0 नि0 वि0 गोण्डा के अन्तर्गत पचपेड़वा उतरौला मार्ग पर लेपन कार्य करने के लिए प्रश्नकर्ता ने 21–12–88 को उन्हें तथा दिनांक 22–12–88 को सचिव, सा0 नि0 विभाग को पत्र लिखा था ? सचिव सा0 नि0 विभाग ने अपने पत्रांक संख्या–10392/एस0 पी0 डब्लू0 डी0/89 के द्वारा प्रमुख अभियन्ता को लेपन कार्य करने के लिये आदेश दिया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बलिया व देवरिया जनपद को जोड़ने वाले घाघरा सेतु में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में घोटाले का आरोप

28—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि देवरिया व बलिया जनपदों को जोड़ने वाले घाघरा नदी पर निर्माणाधीन घाघरा सेतु में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित रेट से कम भुगतान किया जा रहा है और वाजिब भुगतान मांगने पर उन्हें कार्य से हटा देने की धमकी दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की मुख्यालय से किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर मजदूरों के हक को सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रत्येक जिला वक्फ कार्यालयों को वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे को रोकने एवं अन्य कार्यों हेतु आदेश

29—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जिला वक्फ कार्यालयों को वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे को रोकने व वक्फ के मुकदमों की पैरवी न्यायालयों पर करने हेतु कोई आदेश प्रदान करने हेतु कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

जिलों में तैनात वक्फ स्टाफ को अन्य कार्यों के साथ-साथ यह कार्य भी सौंपा गया है कि वे वक्फ सम्पत्तियों पर संभावित अतिक्रमणों की सूचना समय से वक्फ बोर्ड को देकर नियमानुसार उसके रोकथाम की कारवाई में बोर्ड को सहयोग देंगे तथा न्यायालयों में लम्बित वक्फ के मुकदमों की पैरवी में वक्फ बोर्ड को सहायता देंगे।

सम्परीक्षा कोष्ठ के समस्त अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थायीकरण

30—श्री राम पाल वर्मा—

क्या सा0 निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कार्यालय ज्ञाप संख्या—5423 बी0 एस0/23—सा0 नि0 अनु—4, दिनांक 25—7—1980 के साथ पठित कार्यालय ज्ञाप संख्या 851 बी0एस0/23—सा0 नि0 अनु—4, दिनांक 22—3—1982 के स्तम्भ—6 व 11 के अनुसार सम्परीक्षा कोष्ठ के सभी अराजपत्रित तृतीय श्रेणी के पद दिनांक 1—5—1980 से स्थायी हैं ? यदि नहीं, तो किस तिथि से स्थायी हैं ? किन-किन पद धारक कर्मचारियों का स्थाईकरण किया जा चुका है ? किन-किन पद धारक कर्मचारियों का स्थायीकरण अभी तक किन परिस्थितियों में नहीं किया गया है ? क्या उनके स्थायीकरण की संस्तुति मुख्य प्राविधिक परीक्षक ने दिनांक 12—2—88 व 14—9—1988 को भेजी है ? क्या निर्माण मंत्री बतलायेंगे कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 2690 बी0 एस0/सा0 नि0 अनु—4, दिनांक 2—6—1984 के द्वारा स्थायी किये गये कतिपय कर्मचारियों की किस सेवा अवधि को शासनादेश संख्या—454/दो-बी-207—1958, दिनांक 18—6—1969 के अनुसार परिवीक्षा अवधि माना गया है ? क्या उनके लिए परिवीक्षा अवधि का शासनादेश जारी किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वरिष्ठ लिपिक व कनिष्ठ लिपिक पद धारकों के लिए भी उसी प्रश्नगत सेवा अवधि को ही परिवीक्षा अवधि माना जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

निम्नांकित पदधारक कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जा चुका है :—

1—श्री हरिश्चन्द्र जोशी,
कार्यालय अधीक्षक, ग्रेड—1
2—श्री प्यारे लाल, वरिष्ठ सहायक।
3—श्री राज किशोर तिवारी, वरिष्ठ सहायक।
4—श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, आशुलिपिक।
5—श्रीमती आशा रानी शर्मा, आशुलिपिक।
6—श्रीमती दीपाली डे, आशुलिपिक।
7—कु0 बीना अग्निहोत्री, आशुलिपिक।

श्री अनिल कुमार निगम, वरिष्ठ लिपिक, श्री सन्तराम, कनिष्ठ लिपिक, एवं श्रीमती कृष्णा देवी सिंह, आशुलिपिक का स्थायीकरण नहीं किया गया है। श्री निगम एवं श्री राम के बीच ज्येष्ठता का मामला न्यायालय में विचाराधीन था, इसलिए इनका स्थायीकरण नहीं हो सका था। अब ज्येष्ठता के संबंध में अन्तिम निर्णय हो जाने के पश्चात् इनके स्थायीकरण किये जाने

के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। श्रीमती कृष्णा देवी सिंह आशुलिपिक का स्थायीकरण इसलिए नहीं किया जा सका है, क्योंकि उनकी नियुक्ति श्री अनिल कुमार वर्मा, आशुलिपिक के लिए सुरक्षित पद के विरुद्ध की गयी है।

जी हां, किन्तु उस पत्र में केवल श्री अनिल कुमार निगम को वरिष्ठ लिपिक एवं श्री सन्तराम को कनिष्ठ लिपिक के पद पर स्थायीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

प्रश्नगत मामले में इनके अस्थाई/स्थानापन्न सेवा की गणना परिवीक्षा अवधि के प्रति की गयी थी और शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अयोध्या शरण (जे0ई0) का प्रांतीय खण्ड बस्ती में स्थानान्तरण

31--श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ--

क्या सा0नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अयोध्या शरण गुप्ता (जे0ई0) जो बस्ती जनपद में ड0सी0 यू0/ के अन्तर्गत डुमरियागंज में कार्यरत थे उन्हें वहां से शिकायतों के आधार पर हटा दिया गया था? यदि हां, तो किन कारणों से फिर उन्हें तुरन्त मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता गोरखपुर द्वारा प्रांतीय खण्ड बस्ती में नियुक्त कर दिया गया है और डुमरियागंज में ही रह रहे हैं?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

जी नहीं। श्री गुप्ता का स्थानान्तरण वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किया गया।

श्री. गुप्ता का स्थानान्तरण विशेष परिस्थितियों में बस्ती में अकार्यकारी में किया गया, जो डुमरियागज में रह रहे हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में खण्ड/वृत्त में रिक्त पदों की संख्या एवं लखनऊ मण्डल में तैनात मुख्य/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

32--श्री सरदार सिंह--

क्या सा0नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितने अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 में तैनाती हेतु प्रतीक्षा सूची में है तथा कितने खण्ड/वृत्त में पद कब-कब से रिक्त हैं? क्या यह भी बतायेंगे कि कितने मुख्य/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता पांच वर्षों से अधिक बाराबंकी लखनऊ मंडल में तैनात हैं? क्या यह अधिकारी स्थानान्तरण के पात्र नहीं हैं? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो कब तक स्थानान्तरित किया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी--

कोई नहीं

रिक्त पदों के विवरण निम्नवत् हैं:--

पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
1--अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	13	फरवरी, 87 एवं बाद से
2--अधिशासी अभियन्ता (बि/यां)	2	मई, 88 एवं बाद से
3--अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	12	जुलाई, 87 एवं बाद से
4--अधीक्षण अभियन्ता (बि/यां)	3	फरवरी 87 एवं बाद से

बाराबंकी में इस स्तर का कोई भी अधिकारी 5 वर्ष से अधिक अवधि से सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत नहीं हैं। लखनऊ मण्डल में सा0नि0वि0 में 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत उक्त स्तर के अधिकारियों के विवरण निम्नवत हैं:--

पदनाम	संख्या
मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)	1
अधीक्षण अभियन्ता	2
अधिशासी अभियन्ता	3

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए मण्डल में कार्यरत रहने की अवधि निर्धारित नहीं है।

जनपद बहराइच के नरसिंह डीहा पटपरगंज मार्ग के निर्माण की मांग

33--श्री त्रिभुवन प्रसाद --

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 में जनपद बहराइच के नरसिंह डीहा पटपरगंज मार्ग के संबंध में पत्रांक संख्या 402 जे0बी0 आई-23/ सा0 नि0वि0 अनुभाग 11 दिनांक 19 दिसम्बर, 1987 द्वारा आगणन मांगे गये थे तथा यह भी आदेश था कि इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाय ? उक्त पर अब तक निर्माण कार्य न कराये जाने का क्या कारण है और कब निर्माण कार्य (सड़क) कब तक करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मऊनाथ भंजन के विकास खण्ड घोसी के कतिपय गांवों के बीच सार्वजनिक मार्ग पर नाले पर पुल बनाने की योजना

34--श्री विष्णु देव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ विकास खण्ड घोसी के ग्राम गोविन्दपुर टंगुविया तथा ग्राम दरौधा माधोपुर के बीच सार्वजनिक मार्ग पर नाले पर पुल बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह पुल कब तक निर्मित होने की योजना है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

सेतु निगम द्वारा उमेटा सेतु (गुजरात) के कुओं की गलाई के टेण्डर व रेट में अनियमितता किये जाने का आरोप

35--श्री सरदार सिंह--

क्या सा0नि0 मंत्री की जानकारी में है कि सेतु निगम द्वारा उमेटा सेतु (गुजरात) के कुओं की गलाई के टेण्डर व रेट में कुछ अनियमितताये पाई गई थीं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा किस-किस के खिलाफ क्या-क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन को इसमें कितने राजस्व की हानि हुई तथा इसकी पूर्ति कब तक किस-किस अधिकारी से कर ली जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को इसमें कोई हानि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

ईराक सरकार द्वारा रबा सेतु का कार्य राजकीय सेतुनिगम से वापस लिये जाने के फलस्वरूप पड़े व्यय भार की जानकारी

36—श्री सरदार सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री की जानकारी में है कि ईराक सरकार ने 10 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाला रबा सेतु का कार्य राजकीय सेतु निगम से वापिस ले लिया है ? यदि हां, तो सेतु निगम को इस पर कितना व्यय भार वहन करना पड़ा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

ईराक सरकार द्वारा रबा सेतु का निर्माण कार्य पहले अपने एक सरकारी प्रतिष्ठान मै0 हामूराबी कान्ट्रैक्टिंग कम्पनी को आवंटित किया गया था। मै0 हामूराबी कम्पनी द्वारा सेतु निगम को सब कान्ट्रैक्टर नियुक्त किया गया था। लेकिन बाद में ईराक सरकार द्वारा उक्त रबा सेतु का कार्य अपने हैवी इन्डस्ट्रियल एवं मिलट्री मैनुफैक्चरिंग मंत्रालय को हस्तानान्तरित कर दिया गया, जिससे मै0 हामूराबी कम्पनी द्वारा सेतु निगम का सब कान्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया गया। सेतु निगम को इस पर लगभग 17.54 लाख रुपये व्यय करना पड़ा है।

ईराक में सेतु निगम के पास निर्माण कार्य एवं निगम में कार्यरत स्टाफ एवं व्यय का विवरण

37—श्री सरदार सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सेतु निगम के पास ईराक में क्या-क्या निर्माण कार्य है तथा कितनी लागत के है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ईराक में कितना स्टाफ है तथा उस पर प्रतिमाह कितना खर्चा निगम को वहन करना पड़ रहा है तथा प्रतिमाह कितनी लागत का निर्माण कार्य किया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस समय ईराक में सेतु निगम के पास निर्माण हेतु कोई कार्य नहीं है।

ईराक में निगम के स्टाफ की कुल संख्या 7 है। उक्त स्टाफ पर सेतु निगम को रु0 77.440 प्रतिमाह वहन करना पड़ रहा है।

प्रतिमाह किये जाने वाले निर्माण कार्य की लागत शून्य है।

38—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[7 वे शुक्र के लिए स्थगित]

वर्तमान उपनिदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण मण्डल फैजाबाद द्वारा की गयी नियुक्तियों में अनियमितता के विरुद्ध जांच

39—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान उप निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण फैजाबाद मण्डल फैजाबाद द्वारा तृतीय वर्ग व चतुर्थ वर्ग के कुछ पदों पर वर्ष 88 में नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो कितने पदों पर और की गयी नियुक्तियों का पदवार विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त दिये गये विवरण में किन-किन पदों पर नियुक्ति अधिकार मण्डलीय उप निदेशक को प्राप्त है। क्या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के पदों पर अनियमित नियुक्ति करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को सरकार दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

प्रश्नगत बिन्दुओं पर जांच कराई जा रही है तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनियमित काय करने के लिये दोषी पाये गये अधिकारियों को नियमानुसार दण्डित करने की कार्यवाही शीघ्रता से की जायेगी।

40—श्री बलराम यादव तथा श्री शारदा नन्द अंचल—

[दिनांक 24-2-89 को अता0 प्र0 सं0 117 द्वारा उत्तरित]

बस्ती जनपद के मेंहदावल-लोहरसन मार्ग में श्री हरिश्चन्द्र की अध्याप्ति भूमि का मुआवजा

41--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 जनवरी, 89 जो कि बस्ती जिले के मेंहदावल-लोहरसन मार्ग में ली गई श्री हरिश्चन्द्र पुत्र श्री ओरी लाल की भूमि के मुआवजा के सम्बन्ध में है, मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। मामले की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु उक्त पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, बस्ती, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड नं0-1, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती तथा प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ को भेज दी गई है।

उत्तर प्रदेश हरिजन विद्यालय शिक्षक एसो0 के विधि सलाहकार तथा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी बरेली के बीच अध्यापकों के देयों के भुगतान के संबंध में किया गया समझौता

42--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हरिजन विद्यालय शिक्षक एसो0 के विधि सलाहकार श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेयी तथा पदाधिकारियों के साथ श्री बी0 आर0 बी0 खरे जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी बरेली से अध्यापकों के अवशेष देयों का भुगतान, कु0 ऊषा रानी सक्सेना प्र0अ0 तथा श्री रामेश्वर दयाल प्र0 अ0 के संबंध में क्या-क्या लिखित समझौता हुआ था? समझौते के अनुसार क्या-क्या मांगें पूरी हुई और क्या-क्या शेष है तथा वह कब तक पूरी हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

43--डा0 दिनेश जौहरी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया[

मुख्य अभियन्ता पूर्वी क्षेत्र वाराणसी के पत्र पर मुख्य अभियन्ता परिवाद द्वारा जांच

44--श्री सरदार सिंह--

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी में है कि श्री यदुनाथ सिंह विधायक के पत्र दिनांक 17-6-88 एवं 9-9-88 के शिकायती पत्रों पर मुख्य अभियन्ता परिवाद द्वारा जांच किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता पूर्वी क्षेत्र वाराणसी का पत्र दिनांक 13-10-88 मिला? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण कर ली गई? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूर्ण करा ली जायेगी?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद में बाल विकास परियोजनाओं/आदिवासी बच्चों के विद्यालय व हरिजनों की भूमि आवंटन में हुए घोटाले के संबंध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

45--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद में बाल विकास परियोजनाओं/आदिवासी बच्चों के विद्यालय व हरिजनों की जमीन आवंटन में वर्ष 1980 से 1983 के बीच हुए घोटाले के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-522 मुख्य मंत्री को ता0 7-12-85 को प्राप्त हुआ और इस पत्र को संयुक्त सचिव मुख्य मंत्री ने ता0 19-12-85 को सचिव के पास यथोचित कार्यवाही हेतु भेज दिया था? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत में होटल अर्चना के निर्माण की बाधा को दूर करने की मांग

46—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत में सा0नि0 वि0 द्वारा बनाई जा रही गनियाधौली–सिगौली–अम्याड़ी मोटर मार्ग के कारण पर्यटन व्यवसाय के लिए बनाये जा रहे अर्चना होटल के निर्माण में व्यवधान उत्पन्न हो गया है जिसके संबंध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25–8–88 को उनको पत्र लिखा है? क्या यह सही है कि इस हेतु शासन द्वारा विभाग के अधिकारियों से अनेकों बार आख्यायें मांगने पर भी आख्यायें शासन को नहीं भेजी गयी हैं? यदि हां, तो उपरोक्त निर्माण की बाधा दूर करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत में होटल अर्चना के निर्माणार्थ चयनित भूमि के संबंध में मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 23–8–88 तथा सम्बन्धित अधिकारियों के मामले में वांछित आख्या शासन को प्राप्त हो गई है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में एक वाद न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रदेश में बुनकरों को प्रदत्त ऋणों का समय से भुगतान होने पर ब्याज माफ किया जाना

47—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बुनकरों को पावरलूम चलाने हेतु 1971 में प्रति बुनकर को 6000 (छः हजार रुपया) ऋण भुगतान किया गया? क्या 1983 में उद्योग मंत्री ने घोषणा की थी कि जिन बुनकरों द्वारा दिये गये ऋण (मूलधन) का भुगतान 30–9–83 तक कर दिया जायेगा उनके ब्याज माफ कर दिये जायेंगे? यदि हां, तो क्या टाण्डा तहसील के बुनकरों के ब्याज माफ कर दिये गये जिन्होंने मूल धन जमा किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती बेनीबाई—

जी हां प्रदेश में कुछ बुनकरों को पावरलूम चलाने हेतु प्रति बुनकर को रुपया 6,000 की दर से ऋण व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिया गया है।

ऐसे व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर जिन्होंने वर्ष 1970 से 1979 तक व्यवसायिक बैंकों से हथकरघा उद्योग के लिए ऋण प्राप्त किया था एवं जिन्होंने 31–3–86 तक मूल धन का पूरा अंश जमा कर दिया उनपर लगने वाला पूरा ब्याज व्यवसायिक बैंकों को उपलब्ध कराने का प्रदेश सरकार का निर्णय है। यह सुविधा पावरलूम बुनकरों को प्रदत्त नहीं है। टांडा तहसील के 549 हथकरघा बुनकरों के ब्याज के दावें जो बैंक से प्राप्त हुए हैं का भुगतान किया जा चुका है। 63 हथकरघा बुनकरों के ब्याज के दावे जो बैंक से प्राप्त हुए हैं, में कमियां होने के कारण बैंकों को आपत्ति निवारण हेतु भेजे गये हैं।

बाल विकास परियोजना अलीगंज, लखनऊ की मुख्य सेविका (श्रीमती राधा गुप्ता) द्वारा परियोजना के लिपिक के विरुद्ध दर्ज प्रथम दृष्टया रिपोर्ट

48—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजना अलीगंज, लखनऊ में कार्यरत सेविका (श्रीमती राधा गुप्ता) द्वारा परियोजना के लिपिक के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया रिपोर्ट लिखाई गई थी जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी, सरोजनी नगर गवाह है? यदि हां, तो क्या उन्हें गवाही हेतु बुलाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा—

जी हां।

बाल विकास परियोजना अलीगंज की मुख्य सेविका श्रीमती राधा गुप्ता ने इसी परियोजना के कनिष्ठ लिपिक श्री दिनेश कुमार शुक्ल के विरुद्ध थाना अलीगंज में प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दिनांक 12-1-88 को करायी गयी थी। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट में बाल विकास परियोजना अधिकारी, सरोजनी नगर, लखनऊ का नाम अंकित नहीं है। अतः उन्हें अवाही हेतु बुलाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद गोण्डा के गौरा उतरौला मार्ग के लिए स्वीकृत राप्ती नदी पर सेतु बनाने की मांग

49—श्री अरुण प्रताप सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा के गौरा-उतरौला मार्ग के राप्ती नदी पर सेतु बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हां, तो कब तक उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण विभाग कार्य प्रारम्भ करेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

समेकित बाल विकास सेवा कार्य क्रम के अन्तर्गत बलिया जनपद के कतिपय विकास खंडों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के रिक्त पदों को भरा जाना

50—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत जनपद बलिया के विकास क्षेत्र सीयर नगरा व रतनपुरा में आंगनबाड़ी कार्य कत्रियों के कितने स्थान (पद) रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति कराने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा—

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बलिया के विकास खण्ड-सीयर में आंगनबाड़ी कार्यात्रियों के 38 पद रिक्त हैं। विकास खण्ड नगरा व रतनपुरा में कोई पद रिक्त नहीं है।

विकास खंड सीयर में रिक्त चल रहे 38 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही हो रही है।

देवरिया जनपद की खाद्यान्न योजना नं0 4 व 5 की सड़कों को पक्का कराये जाने की मांग

51—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सा0नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद की खाद्यान्न योजना नं0-4 व 5 की सड़कें अब तक पक्की नहीं हुई हैं? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और इसके लिए कौन दोषी है और उस व्यक्ति के विरुद्ध सरकार क्या कार्य कर रही है? क्या सरकार जनहित में देवरिया जनपद के पूर्वोक्त योजना में निर्मित खड़न्जा स्तर की सड़कों को जनहित में प्राथमिकता के आधार पर पक्का कराने के हेतु व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों को जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा उपलब्ध परिव्यय के अनुसार पक्का कराया जा रहा है, अतः इसके लिये किसी के दोषी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

यह जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में निरीक्षण भवन हेतु भूमि का अधिग्रहण

52---श्री उमेश्वर प्रताप सिंह---

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा स्वीकृत भमुवा बाजार जनपद गोण्डा में निरीक्षण भवन बनाने की योजना कब से प्रारम्भ की जा रही है? क्या भूमि अर्जन की व्यवस्था हो गयी है? यदि हां, तो यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि भमि अधिग्रहीत की गयी है या बाजार मूल्य पर क्रय की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी---

सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है।

निर्माण खण्ड (बाढ़) सा0नि0वि0 द्वारा लखनऊ कानपुर रोड का निर्माण

53---कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण खण्ड (बाढ़) लखनऊ द्वारा कानपुर रोड सिंगार नगर की ओर से इस मार्ग पर प्रथम 4 किलोमीटर (सिंगारनगर से भदरुख पुलिया तक) में दिनांक 31--3--88 तक सड़क का निर्माण कागजों में किस तिथि को पूर्ण कराया गया है? क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि कागज पर सड़क दि0 31-3-88 को पूर्ण दिखा दी गयी और कार्य अप्रैल के बाद भी चालू रहा है? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है? इसमें दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी---

निर्माण खण्ड (बाढ़) सा0नि0 विभाग द्वारा लखनऊ कानपुर रोड से लखनऊ रायबरेली मार्ग तक शारदा नहर पटरी पर रिंग मार्ग के प्रथम चार कि0मी0 में कुछ स्थानों को छोड़कर (सिंगार नगर की ओर से) ऊपरी सतह (टाप कोट) तक कार्य 31-3-88 तक पूर्ण करा दिया गया था एवं प्रथम सतह लेपन तक 3.4 कि0मी0 में कार्य पूर्ण कराया गया। कि0मी0 4 में 600 मीटर लम्बाई में कुछ पेड़ थे जिनको वन विभाग द्वारा अप्रैल, 88 में कटवाया गया है। उन स्थानों पर पत्थर की कुटाई तथा शेष 4095 वर्ग मीटर भाग में प्रथम सतह लेपन का कार्य 30-4-88 तक पूर्ण कराया गया। जबकि कागजों में पूरी 4 कि0मी0 लम्बाई में प्रथम सतह लेपन का कार्य 31-3-88 को पूर्ण दिखाया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पौष्टिक आहार योजना एवं आंगनबाड़ी योजना के तहत सामग्री खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच

54---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ए/84/वि0/88 एवं ए/83/वि0 88 दिनांक 3 फरवरी, 1988 क्रमशः आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी एवं जिलाधिकारी, बांदा को बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी महुआ में पौष्टिक आहार योजना एव आंगन बाड़ी योजना के तहत सामग्री खरीद में भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त हुए? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रकरण की जांच किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से कराई गई? यदि हां, तो इसमें जांच के बिन्दु क्या थे तथा कौन अधिकारी दोषी पाया गया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती दीपा--

1---जी हां।

2---जांच अपर जिलाधिकारी परियोजना द्वारा कराई गई।

3---जांच नरैनी/महुआ में खाद्यान्न में की गयी खरीद में तथा कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित की गयी।

4---जांच में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया, अतएव विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर मण्डल में स्व0 श्री राधेश्याम सिंह के पुत्र की नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्र

55—श्री जवाहर सिंह यादव—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मा0 नेता विरोधी दल का दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 का पत्र सं0- 1472 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो स्व0 श्री राधेश्याम सिंह के पुत्र को सेवा में रख लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक रख लिया जायेगा ? क्या यह सही है कि निदेशालय स्तर से आदेश देने के बावजूद भी गोरखपुर मण्डल के ओ0 प्र0 सं0 के प्रधानाचार्यों के उदासीन रवैइये के कारण इनकी नियुक्ति में विलम्ब किया गया जबकि इस मण्डल में कई नये औ0 प्र0 संस्थान खोले गये हैं और वहां नियुक्तियां की गयी हैं ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

जी हां, संदर्भित पत्र निदेशक प्रशिक्षण एव सेवायोजन लखनऊ को प्राप्त हुआ है। मामले में आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेशित कर दिया गया है।

जनपद उन्नाव के एम0 आर0 आर0 एस0 इंटर कालेज पुरवा के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान

56—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले में सन 82 की भी छात्रवृत्तियों के भुगतान अनुसूचित जाति के छात्रों को अब तक नहीं हो पाये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या मा0 प्रधान मंत्री जी भारत सरकार के कार्यालय से पत्र सं0- 336841 दिनांक 15-11-85 के कवरिंग सहित लालाप्रसाद नि0 असावर उन्नाव का वर्ष 82 की एम0आर0 आर0एस0 इण्टर कालेज पुरवा उन्नाव के तत्कालीन छात्र (इण्टर) का छात्रवृत्ति के भुगतान विषयक पत्र मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती दीपा—

उन्नाव जनपद में वर्ष 1982 की छात्रवृत्तियों का भुगतान होना अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

प्रदेश के सभी विभागों में आशुलिपिकों को द्विभाषी भत्ता दिया जाना

57—श्री सरदार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी विभागों द्वारा आशुलिपिकों को द्विभाषी भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसे सा0नि0वि0 के आशुलिपिकों को स्वीकृत करने में क्या कठिनाई है तथा कब तक स्वीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह सूचना प्रदेश के समस्त विभागों से सम्बन्धित है, जिसे प्राप्त करने में समय लग रहा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में आशुलिपिकों को द्विभाषी भत्ता दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों द्वारा दिये गये कथित ज्ञापन का कार्यान्वयन

58—श्री ब्रहम दत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों की ओर से कोई ज्ञापन दिसम्बर, 1988 में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस निगम के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष को कम करने हेतु इस ज्ञापन की मुख्य व्यवहारिक मांगों पर कोई ठोस योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है ? यदि हां; तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

राज्यपाल महोदय तथा अध्यक्ष/सदस्य, निदेशक मण्डल, राजकीय निर्माण निगम को सम्बोधित एवं मुख्य मंत्री जी को पृष्ठांकित निर्माण निगम के कर्मचारियों की ओर से बगैर हस्ताक्षर का एक ज्ञापन दिसम्बर, 1988 में प्राप्त हुआ है। शासन ने उक्त ज्ञापन पर निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक से आख्या मांगी है जिसके प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही संभव होगी।

जनपद इलाहाबाद की ग्राम मन्दर से अहमदपुर पावन तक की सड़क का डामरीकरण कराने की मांग

59--श्री हाजी मोहम्मद हयात---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद इलाहाबाद परगना चायल की ग्राम मन्दर से अहमदपुर पावन तक की सड़क कितनी पुरानी है और 1984 से निरन्तर मांग के उपरांत आज तक पक्की न किये जाने के क्या कारण हैं? इस सड़क का कब तक डामरीकरण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी---

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद उन्नाव के पुरवा मिनीकला बनी रोड के निर्माण हेतु आपूर्ति की गयी घटिया दर की सामग्री

60---श्री हृदय नरायन दीक्षित---

प्रथम सत्र 1988 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दि0 8-9-87 में वर्णित अनियमितताओं व 27-1-88 को सं0 अ0 से उठाये गये मुद्दों पर जांच हो गयी है? यदि हाँ तो जांच किसने की? जांच के निष्कर्ष क्या हैं? दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां।

प्रश्नगत शिकायतों एवं दिनांक 27-1-88 को सहायक अभियन्ता से उठाये गये मुद्दों की जांच कार्य अधीक्षक, वि0नि0इ0न0-2, सा0नि0वि0, उन्नाव द्वारा की गयी।

कथित शिकायती पत्र में उल्लिखित अनियमितताओं के लिये तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री नबी मोहम्मद खां को मार्ग के काफी लम्बे भाग में पत्थर बिछवाने तथा समय से कुटाई न कराने के कारण मार्ग के अवरुद्ध हो जाने के लिए उत्तरदायी पाया गया।

उत्तरदायी पाये गये उक्त अवर अभियन्ता श्री नबी मोहम्मद खां को कड़ी चेतावनी दे दी गई है।

जनता धोती के क्रय विक्रय एवं स्टाक की जानकारी

61--श्री बुनियाद हुसैन अंसारी---

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 1987 से 31 मार्च, 1988 तक जनता धोती की खरीद कुल कितने रुपये की की गई और बिक्री कितनी हुई? इस समय स्टाक कितना है? क्या यह सही है कि लगभग 56 लाख रुपये का माल कम है?

श्रीमती बेनी बाई---

31 मार्च, 87 से 31 मार्च 88 तक की अवधि मे कुल रु0-2437.56 लाख की जनता धोती क्रय की गई एवं कुल रुपया 1847.96 लाख की जनता धोती विक्रय की गई। स्टाक की स्थिति एवं माल की कमी के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रांतीय खंड सा0नि0वि0 आजमगढ़ द्वारा चोरी से टेन्डर बेंचने का आरोप

62---श्री रमाकान्त यादव---

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि प्रांतीय खण्ड सा0नि0वि0 आजमगढ़ में वर्ष मार्च, 85 से मार्च, 88 तक कैशियर द्वारा बिना किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के हस्ताक्षर के चोरी से टेण्डर बेचे जाने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी---

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती

63---श्री अकबर हुसैन बाबर---

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि 19 वां वृत्त सा0 नि0 वि0 झांसी के अन्तर्गत नियमित मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को शासन/प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता के किस आदेश/निर्देश के अनुपालन में कार्य प्रभारित अधिष्ठान में सेवायोजन प्रदान किया जा रहा है? क्या उक्त आदेश/निर्देश संविधान की धारा 309 के अन्तर्गत प्रख्यापित मृतक आश्रितों की भर्ती सम्बन्धी नियमावली 1974 के प्राविधानों पर अधिप्रभावी रखा जा सकता है? यदि नहीं, तो नियमित मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की कार्य प्रभारित अधिष्ठान में नियुक्तियां क्यों की गई?

श्री अम्मार रिजवी---

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 तथा विभागीय आदेश संख्या--6247 डब्लू0सी0 दिनांक 26-10-77 के अन्तर्गत।

जी नहीं।

उक्त नियमावली में मृतक के आश्रित को यथाशक्य उसी विभाग में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था है और नियमित अधिष्ठान में ही नियुक्त करने का प्राविधान नहीं है।

श्रीमती बल्ला पत्नी स्व0 श्री पुत्तू लाल ग्राम चन्द्रपुर विधूना इटावा को विधवा अनुदान दिया जाना

64---श्री औलान सिंह---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के संस्तुति पत्र दिनांक 26-9-88 के साथ श्रीमती बल्दाजी बेवा पुत्तू लाल जाटव निवासिनी ग्रा0 चन्द्रपुर, तहसील विधूना जिला इटावा का कोई प्रार्थना-पत्र निराश्रित विधवा अनुदान/पेंशन हेतु प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा---

जी हां।

प्राप्त प्रार्थना-पत्र की जांच करायी गयी। जांच में पाया गया कि श्रीमती बल्दा जी पत्नी स्व0 श्री पुत्तू लाल जाटव, निवासी--ग्रा0-चन्द्रपुर, विधूना, इटावा नाम की कोई विधवा नहीं है, बल्कि श्रीमती बल्ला श्री पत्नी स्व0 श्री पुत्तू लाल ग्रा0--चन्द्रपुर, विधूना, इटावा नाम की विधवा पायी गयी, उन्हें वर्ष 1986--87 से विधवा अनुदान दिया जा रहा है तथा वर्ष 1988--89 का अनुदान रु0 720 का भुगतान भी दिनांक 6-12-88 को किया जा चुका है।

सैदपुर भीतरी ग्राम टारा खुर्द जनपद फैजाबाद मार्ग को पेन्टिंग कराने की मांग

65---श्री अकबर हुसैन बाबर---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-5-88 जो ग्राम सैदपुर भितरी ग्राम टाराखुर्द जनपद फैजाबाद तक जाने वाले मार्ग को पेन्टिग करने के संबंध में है और जिसकी प्राप्ति की सूचना 429/बी0आई0पी0/88, 22-2-88 द्वारा दी गयी है, पर क्या कार्यवाही की गयी? उक्त मार्ग को पेन्ट करने में क्यों विलम्ब हो रहा है?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

[illegible] से देवापासिया बहु चालित मार्ग पर पुलिया का निर्माण

66--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में करनैलगंज--हजूरपुर मार्ग से देवापासिया बहु चालित मार्ग पर जनवरी या फरवरी, 87 से अपूर्ण पुलिया का निर्माण कार्य बन्द होने का क्या कारण है? पुलिया का पूर्ण कार्य योजनानुसार कब तक किया जाना है?

श्री अम्मार रिजवी--

विषयगत मार्ग की कुल लम्बाई 10 कि0 मी0 है जिसमें से 7 कि0मी0 लम्बाई में सभी कार्य स्वीकृत स्तर तक पूर्ण हैं। शेष तीन किलोमीटर भाग जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत मिट्टी पुलिया खड़जा स्तर तक स्वीकृत हुआ था, में उपलब्ध धन से मिट्टी, खड़ंजा का कार्य कराया गया है। धन उपलब्ध न होने के कारण पुलिया का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है पुलिया का कार्य पूर्ण कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

गोरखपुर जनपद के श्री लाल बहादुर शास्त्री पूर्व मा0 विद्यालय जगदीशपुर गोरखपुर के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाना

67--श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के श्री लाल बहादुर शास्त्री पूर्व मा0 विद्यालय जगदीशपुर गोरखपुर के हरिजन छात्रों को कक्षा 7 एवं 8 की छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दिलायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा--

इस विद्यालय में कक्षा--7 में 5 अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। कक्षा 8 में नहीं दी जा रही है।

कक्षा 8 में उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिन्हें पूर्व वर्ष में कक्षा--7 में छात्रवृत्ति मिली हो। इस विद्यालय में पूर्व वर्ष कक्षा--7 में किसी छात्र को छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं हुई थी। अतः इस वर्ष कक्षा--8 में किसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।

जहां तक छात्रवृत्ति दिलाने का प्रश्न है शासन ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक विद्यालय के कक्षा--6, 7, व 8 में अनुसूचित जाति के 5--5 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी यह छात्रवृत्ति कक्षा--6 में स्वीकृत की जायेगी और कक्षा--7 व 8 में उसी छात्रवृत्ति का पुनर्नव किया जायेगा। इस वर्ष कक्षा 8 में किसी छात्र को नियमानुसार छत्रवृत्ति देय नहीं है।

जनपद मेरठ में हिन्डन नदी पर सुराना गांव के पास पुल निर्माण की मांग

68--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के बागपत-मुरादनगर मार्ग पर हिण्डन नदी पर सुराना गांव के पास कोई पुल बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उपरोक्त पुल को कब तक बनवा दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आश्रम पद्धति (बालिका) विद्यालय , मोहान रोड, लखनऊ के अध्यापकों की चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि अंकित किया जाना

69---श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आश्रम पद्धति (बालिका) विद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ के किसी भी अध्यापक की वर्ष 1978-79 से वर्ष 1986-87 तक की वार्षिक प्रविष्टियां अंकित नहीं की गयी हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती दीपा--

राजकीय आश्रम पद्धति (बालिका) विद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ में वर्ष 1978-79 से वर्ष 1986-87 के मध्य 26 अध्यापिकायें तैनात रहीं जिनकी चरित्र पंजिका में उक्त वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियां अंकित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

महामन्त्री उत्तर प्रदेश सा0नि0वि0 आशुलिपिक संघ का कथित पत्र

70---श्री यदुनाथ सिंह---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या- 35 के संबंध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-9-86 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां।

प्रश्नगत मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सा0नि0व0 शाहजहांपुर में कार्य पर अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

71---श्री यदुनाथ सिंह---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के तीसरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-27 के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-10-86 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा मांगे गये बिन्दुओं पर आख्या सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां।

कृत कार्यवाही की बिन्दुवार सूचना संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 54 पर)

डिप्टी एस0पी0 विशेष जांचदल, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

72--श्री यदुनाथ सिंह ---

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या- 36 के सम्बन्ध क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-4-86 तथा 18-9-86 प्राप्त हुए? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुए, किन्तु पत्र दिनांकित 18-9-86 अब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पत्र में संदर्भित पूर्व पत्रादिकों पर जांच करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में डाक्टरी की जाली डिग्रियां देने वाली फर्जी संस्थाओं के विरुद्ध कृत कार्यवाही एवं जांच

73--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या--38 के संबंध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-5-86 तथा 9-10-86 एवं 18-8-88 प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उक्त पत्रों में मांगी गयी सूचना का विवरण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां।

विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 56 पर)

श्री ए0 क्यू0 खां अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गयी शासकीय क्षति की टी0ए0सी0 द्वारा जांच कराने एवं सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा खुली लट के संबंध में शिकायती पत्र

74--श्री शारदा प्रताप---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-12-1987 जो श्री ए0 क्यू0 खां, अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गयी शासकीय क्षति की टी0ए0सी0 द्वारा जांच करने के संबंध में तथा श्री डी0एन0 सक्सेना, सहायक अभियन्ता एवं श्री मोहरमन सिंह अवर अभि0 द्वारा लाखों की खुली लूट के शिकायती पत्र के संबंध में है तथा जिसकी प्राप्ति पत्रांक सी0एम0/वि0को/एम0-1-व/3-169/87, दिनांक 11 दिसम्बर, 1987 द्वारा की गई है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-12-87 प्राप्त नहीं हुआ है।

ठक्कर आयोग की रिपोर्ट संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव को लिये जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर व्यवधान करने लगे। कुछ माननीय सदस्य नारे भी लगाने लगे, सर्वश्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, मयंकर सिंह शारदा प्रताप, शफीकुर्रहमान बर्क आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और प्रतिवेदकों की मेज के सामने खड़े होकर व्यवधान करने लगे परन्तु श्री सरदार सिंह के प्रयास से अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें और सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, मैंने नियम 311 में लिखकर आपको दिया है.....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं उसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)---

मान्यवर, 311 के तहत जो प्रस्ताव आपको दिया गया है, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती कि इससे अधिक महत्वपूर्ण विषय इस समय इस हिन्दुस्तान की धरती पर दूसरा हो ही नहीं सकता.....

श्री अध्यक्ष--

उस मामले से इस सदन का क्या ताल्लुक है ? आप कृपया बैठें। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 11 बजकर 3 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई।)

(समय 12 बजकर 30 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 311 की सूचना अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है मैं 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मेरी सूचना नियम-300 में है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें पहले मैं नियम 301 ले रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

नियम-311 मैंने अस्वीकार कर दिया है।

(व्यवधान)

पहले नियम-301 आएगा फिर नियम-300 आएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

[***] (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। कुछ नहीं लिखा जाएगा।

(घोर व्यवधान)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय--

[***]

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ नहीं लिखा जायगा। मैं 301 ले रहा हूं और सब एक साथ खड़े हो जायेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय वरिष्ठ सदस्य मुलायम सिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको ले लें। नियम 300 के तहत इससे बड़ा सवाल और कोई हो नहीं सकता है।

(शोर)

नोट:--[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री सत्यपाल सिंह--

हमें प्रश्न नहीं चाहिये, हमें नियम 56 नहीं चाहिये। हम 300 पर अपनी बात कहना चाहते हैं।

(शोर)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा सदन में एक पोस्टर दिखाये जाने पर)।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप क्या कर रहे हैं। आपका व्यवहार अनुचित है।

(शोर के मध्य)

बाराबंकी के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा मजदूरों को भुगतान हेतु दी गयी धनराशि को हड़पने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सचना।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 301 की श्री कमलेश पाठक, श्री राम शरण दास श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी श्री देवतादीन, श्री रघुबर दयाल वर्मा, की सूचनायें स्वीकार की गयी हैं।

(निम्नलिखित सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं।)

श्री कमलेश पाठक--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बाराबंकी में बछरावां पर्वतनगर मार्ग सराय गोपी एवं बलिया हरचन्द्र पुर सम्पर्क मार्गों पर करायेगये कार्य हेतु सहायक अभियन्ता द्वारा कराये गये कार्य को मजदूरों के भुगतान हेतु दी गयी धनराशि भुगतान न करके स्वयं हड़प ली गई है। जिससे मजदूरों में अत्यन्त रोष व्याप्त है। जिससे किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है। स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी है।

अतः मेरा स्पष्ट मत है कि मजदूरों के लिए प्रदान की गई धनराशि उन्हें उपलब्ध कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय।']

जनपद सहारनपुर में हिन्डन नदी तथा उसकी सहायक नदियों के पानी में प्रदूषण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री रामशरण दास--

[मान्यवर, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हिन्डन नदी तथा उसकी दो सहायक नदियों ढमोला, तथा कृष्णा जो सहारनपुर जनपद से निकलती हैं, के पानी को मिलों और नगर तथा कस्बों के गन्दे पानी को डालकर प्रदूषित किया जा रहा है, ढमोला नदी में तो सहारनपुर में लगे चावल मिलों, गत्ता मिलों तथा अन्य उद्योगिक कारखानों का जहरीला पानी डाला जा रहा है और नगर सहारनपुर का तमाम गंदा पानी भी इस नदी में डाला जाता है, साथ ही साथ कृष्णा नदी में सहारनपुर गन्ना मिल का प्रदूषित गन्दा पानी और रामपुर मनिहारान कस्बे में लगे गत्ता मिलों का जहरीला पानी डाला जाता है। यह दोनों नदियां हिन्डन नदी में मिल जाती हैं। हिन्डन में जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, तथा गाजियाबाद में लगे चीनी मिलों, गत्ता, चावल तथा अन्य उद्योगों का जहरीला पानी डाला जाता है। इन नदियों के पास के गांव के लोगों का जीना हराम हो रहा है। मच्छरों का राम राज्य है। बदबू बर-दास्त से बाहर है। मवेशी मर रहे हैं। लाखों लोग तरह-तरह की भयंकर बिमारियों में मुबतला हैं। उद्योगपति जन साधारण के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। लाखों लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो गया है।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच करा कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये तथा नदियों को प्रदूषण से मुक्त कराया जाय ।]

जनपद इलाहाबाद के द्वाबा क्षेत्र को अलग से जिला बनाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी---

[मान्यवर, जनपद इलाहाबाद का द्वाबा क्षेत्र जो एक संसदीय तथा 5 विधान सभाई क्षेत्र का बिलकुल पिछड़ा इलाका है। इसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर मुख्यालय से 90 कि0 मी0 दूर यमुना नदी के किनारे फतेहपुर बांदा के बार्डर पर है। अधिक दूरी होने के कारण जिला प्रशासन विकास कार्यों में सदा इस क्षेत्र की उपेक्षा करता चला आ रहा है शासन की नीति के हिसाब से इस पिछड़े क्षेत्र में अब तक एक भी उद्योग नहीं लगाये गये हैं। सिंचाई की जटिल समस्या है विकास कार्य सभी अधूरे या ठप्प पड़े हैं। इस क्षेत्र में कौशाम्बी एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटन स्थल घोषित भी किया गया परन्तु किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है। द्वाबा के जनता में भारी असंतोष है यदि यहां की जनता को किसी प्रकार से संतोष नहीं दिलाया गया तो एक जन आन्दोलन का रूप बनेगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर द्वाबा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौशाम्बी के नाम से एक अलग जिला बनाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा की तहसील तुलसीपुर में मंझगवां ताल के निकट नाले पर बने बीयर (बन्धी) के पुर्ननिर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय----

[मान्यवर, मझगवां ताल में उत्तर प्रदेश व नैपाल के बार्डर पर जरवा के पास कोयलाबास के निकट नाले पर बेधर बनाकर (बन्धी) नाले द्वारा बरसात के दिनों में पानी मंझगवां ताल में इकट्ठा किया जाता था जिससे 12 हजार एकड़ भूमि सिंचित होती थी। इधर दो साल पहले उक्त बीयर (बन्धी) भीषण बाढ़ में टूट गयी जिससे नाले का पानी उक्त ताल में पूरी तरह से नहीं आ पाता है और पानी सीधे नाले में निकल जाता है। जिससे मझगवां ताल में पानी का अभाव हो जाता है। उक्त बीयर (बन्धी) उत्तर प्रदेश और नैपाल के सीमा से सटी ही थी। इधर उसके निर्माण में बताया जाता है नैपाल सरकार ने आपत्ति की थी जिसके कारण उसका पुर्ननिर्माण नहीं हो रहा है।

अतएव आपके माध्यम से शासन से मांग है कि उक्त बीयर का पुनार्निर्माण कराया जाय जिससे सिंचित क्षमता पूर्ववत हो।]

जनपद एटा के जिला गन्ना अधिकारी द्वारा ग्राम प्रतापपुर में देवपुर मार्ग के मिट्टी के निर्माण हेतु प्राप्त धन के दुरुपयोग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी--

[मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं जनपद एटा के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा गन्ना परिषद को विकास खंड आमांपुर के ग्राम प्रतापपुर में देवपुर मार्ग का मिट्टी के निर्माण हेतु धन प्राप्त किया गया था। इस धन का दुरुपयोग जिला गन्ना अधिकारी द्वारा मार्ग का निर्माण ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है।

मिट्टी का कार्य जो कि मस्टर रोल से कराया जाना चाहिये। ठेकेदारों द्वारा अधिकारियों की मिली भगत से कराया जा रहा है। इस प्रकार भूमिहीन ग्रामीण जो कि मात्र मजदूरी द्वारा ही जीवन यापन करते हैं को रोजगार न देकर ठेकेदारों द्वारा शासन के निर्धारित दर पर मजदूरी न देकर कराया गया।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस अविलबनीय लोक महत्व के विषय पर लम्ब कार्यवाही कराने की कृपा कर।]

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच में ओला वृष्टि से हुई क्षति के राहत कार्यों में धन के दुरुपयोग होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवतादीन---

[मान्यवर, जनपद बहराइच में वर्ष 1986 में ओला वृष्टि के कारण राहत सहायता वितरित हुयी थी। उसमें विभाग द्वारा गलत व्यक्तियों को राहत सहायता दी गयी थी। शासन ने जांच में यह सही पाया और दी गयी सहायता की वसूली भी होने लगी थी। सत्र 88 में सरकार द्वारा दिये गये प्रश्न के उत्तर के अनुसार जिन अधिकारियों ने गलत आवंटन किया था, उनके विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन दिया था किन्तु अब तक कोई कार्यवाही कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं हुई। दोषी नायब तहसीलदार को अब प्रोन्नति देकर तहसीलदार बना दिया गया है। शासन स्वतः इन अधिकारियों का पक्ष ले रहा है।

मेरा अनुरोध है कि इस बिन्दु पर तत्काल चर्चा कराई जाय क्योंकि स्थिति विस्फोटक है।]

कानपुर नगर के जूही एस ब्लाक को मलिन बस्ती योजना में सम्मिलित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

[मान्यवर, मैं अध्यक्ष की अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

कानपुर नगर में अहाता संख्या 127/324 ए, 330 से 335 जूही एस ब्लाक को मलिन बस्ती योजना में सम्मिलित करने हेतु वहां के 200 परिवार जो विगत 45 वर्षों से आबाद है, इन सभी निवासियों का नाम निर्वाचन सूची में दर्ज है तथा सभी के राशन कार्ड बने हुए हैं।

उपरोक्त अहाते को मलिन बस्ती योजना में सम्मिलित करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा सभी औपचारिकतायें पूरी की जा चुकी हैं इस संबंध में पूर्व में संयुक्त सचिव मुख्य अभियन्ता, सचिव ने भी इसको मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित करने के संबंध में अपनी संस्तुतियां दे रखी हैं। परन्तु विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारीगण इस अहाते को कामर्शियल बताकर सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। इस अहाते में खोम्चे वाले, रिक्शे वाले, ठेले वाले और तमाम हरिजन परिवार रह रहे हैं। इन लोगों से बराबर विकास प्राधिकरण द्वारा पैसे की मांग भी की जा रही है जिसे ये गरीब देने में असमर्थ हैं।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर त्वरित कार्यवाही कराई जाये। साथ ही इसे मलिन बस्ती योजना में सम्मिलित किया जाये।]

(शोर के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 300 की जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं तथा नियम 56 की जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं सभी अस्वीकार की गयीं।

अब हम शाम 5 बजे तक के लिये उठते हैं। पांच बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। इसके पश्चात सदन की कार्यवाही 5 बजे श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(समय अपरान्ह 5 बजे)

श्री उपाध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही कुछ सदस्य खड़े होकर बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।

(व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1988–89 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)----

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1988--89 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रतियां वितरित कर दी जायें।

(प्रतियां वितरित की गयीं।)

वित्तीय वर्ष 89--90 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या--89 सैनिक कल्याण, अनुदान संख्या--90 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण), अनुदान संख्या--91 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण), अनुदान संख्या--92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) तथा अनुदान संख्या- 1 आबकारी विभाग।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता कि विधान सभा की आज दिनांक 17 अप्रैल, 1989 की कार्यसूची की मद संख्या 9 की उपमदों----

1----अनुदान संख्या--89 सैनिक कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु01,63,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

2----अनुदान संख्या--90 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,00,68,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

3---- अनुदान संख्या--91 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,43,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

4----अनुदान संख्या--92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,17,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

5----अनुदान संख्या--1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,58,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशियों की पूर्ति के लिये जो मांगें सदन के पटल पर रखी गई हैं उनमें क्रमशः अंकित लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशियों जिनका कुल योग एक अरब, 66 करोड़, 52 लाख, 52 हजार रुपये है, से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(श्री उपाध्यक्ष के पुकारे जाने पर किसी ने कटौती का प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया)।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अभी संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री सरदार सिंह, श्री शारदा प्रताप आदि विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों के सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने से घोर व्यवधान एवं हंगामा उत्पन्न हो जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष----

मैं सदन को साढ़े पांच बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय पांच बजकर 2 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पांच बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।

पांच बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन पांच बजकर 40 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।

पांच बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(सदन के पुनः बैठने पर घोर-व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा----

[* * *]

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मा0 संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त----

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

(घोर व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1988--89 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर मतदान और संगत विनियोग विधेयक आज ही पारित किये जाने का प्रस्ताव।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (अम्मार रिजवी)----

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संगत प्राविधानों को निलम्बित करते हुए श्री राज्यपाल की सिफारिश से अनुदान संख्या 2 लगायत 18,20 लगायत 29,32 लगायत 40,42 लगायत 44,46 लगायत, 58,60,61,63 लगायत 75,77 लगायत 83 तथा 85 लगायत 92 के अन्तर्गत समस्त अनुपूरक मांगें, जो सदन में आज प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के विवरण में उल्लिखित हैं और जिनका योग 8 अरब, 44 करोड़ 89 लाख 10 हजार रुपये है, वित्तीय वर्ष 1988--89 के लिए स्वीकार की जायें और संगत विनियोग विधेयक भी आज ही पारित किया जाय।

[अनुपूरक अनुदानों के लिए प्रस्तावों का विवरण निम्नवत है:----

1----अनुदान संख्या-2 आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत 71, 35,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

2----अनुदान संख्या--3 आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत 17,55,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

3---- अनुदान संख्या- 4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 29,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

4----अनुदान संख्या--5 ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 28, 41,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

5----अनुदान संख्या--6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 36,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

6----अनुदान संख्या--7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 2,85,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

---

नोट:----[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट:----[ ] यह अंश सदन में पढ़ा नहीं गया।

7--अनुदान संख्या--8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 20,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

8--अनुदान संख्या--9 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

9--अनुदान संख्या--10 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,07,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

10--अनुदान संख्या--11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 67,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

11--अनुदान संख्या--12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 15,31,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

12--अनुदान संख्या--13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम विकास) के अन्तर्गत 1,04,11,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

13--अनुदान संख्या--14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 8,30,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

14--अनुदान संख्या--15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 2,13,3,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

15--अनुदान संख्या--16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 36,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

16--अनुदान संख्या--17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,41,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

17--अनुदान संख्या--18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 65,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

18--अनुदान संख्या--20 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 6,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

19--अनुदान संख्या--21 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

20--अनुदान संख्या--22 खाद तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 9,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

21--अनुदान संख्या--23 खेल विभाग के अन्तर्गत 50,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

22--अनुदान संख्या--24 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 72,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

23--अनुदान संख्या--25 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 9,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

24--अनुदान संख्या--26 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 2,38,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

25--अनुदान संख्या--27 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 12,05,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

26--अनुदान संख्या--28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 5,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

27--अनुदान संख्या--29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 21,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

28---अनुदान संख्या - 32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 3,69,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

29---अनुदान संख्या--33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,95,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

30---अनुदान संख्या--34. चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 28,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

31---अनुदान संख्या--35 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 8,19,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

32---अनुदान संख्या--36 चिकित्सा विभाग. (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 1,02,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

33---अनुदान संख्या- 37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 4,99,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

34---अनुदान संख्या--38 नागरिक उडडयन विभाग के अन्तर्गत 2,45,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

35---अनुदान संख्या--39 नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 2,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

36---अनुदान संख्या--40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 4,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

37---अनुदान संख्या--42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 8,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

38---अनुदान संख्या--43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

30---अनुदान संख्या- 44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 25,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

40---अनुदान संख्या--46 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,27,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

41---अनुदान संख्या--47 पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 22,63,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

42---अनुदान संख्या--48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 3,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

43---अनुदान संख्या--49 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,22,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

44---अनुदान संख्या--50 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 2,00,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

45---अनुदान संख्या--51 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 15,47,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

46---अनुदान संख्या--52 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 17,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

47---अनुदान संख्या--53 वन विभाग के अन्तर्गत 37,45,000 रुपये के अनुपूरक मांग,

48---अनुदान संख्या--54 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

49---अनुदान संख्या--55 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 41,40,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

50---अनुदान संख्या--56 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 49,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

51--अनुदान संख्या--57 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 2,82,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

52---अनुदान संख्या--58 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 88,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

53--अनुदान संख्या--60 विधान परिषद सचिवालय के अन्तर्गत 1,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

54---अनुदान संख्या--61 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

55--अनुदान संख्या--63 विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 43,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

56-- अनुदान संख्या--64 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 13,42,40,000रुपये की अनुपूरक मांग,

57---अनुदान संख्या--65 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 31,08,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

58--अनुदान संख्या--66 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 78,68,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

59---अनुदान संख्या--67 शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत 98,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

60--अनुदान संख्या 68 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अन्तर्गत 15,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

61---अनुदान संख्या--69 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 50,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

62---अनुदान संख्या--70 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 2,65,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

63--अनुदान संख्या--71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 5,06,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

64--अनुदान संख्या--72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 71,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

65--अनुदान संख्या--73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 65,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

66---अनुदान संख्या--74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 6,24,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

67--अनुदान संख्या--75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 14,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

68---अनुदान संख्या--77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

69---अनुदान संख्या--78 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

70---अनुदान संख्या 79 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत 1,63,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

71---अनुदान संख्या--80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 6,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

72---अनुदान संख्या--81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 51,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

73---अनुदान संख्या--82 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 4,65,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

74---अनुदान संख्या--83 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 29,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

75---अनुदान संख्या--85 सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 78,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

76---अनुदान संख्या--86 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 8,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

77---अनुदान संख्या--87 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 11,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

78---अनुदान संख्या--88 सूचना विभाग के अन्तर्गत 2,54,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

79---अनुदान संख्या--89 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 64,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

80---अनुदान संख्या--90 हरिजन एवं समाज कल्याण (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत 31,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

81---अनुदान संख्या--91 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 13,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग,

82---अनुदान संख्या--92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 22,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 1988--89 के लिये स्वीकार की जाये।)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री हर्ष वर्धन, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री बालेश्वर सदन के फ्लोर पर आ गये तथा विपक्ष के अनेक मा0 सदस्य प्रधान मंत्री के विरुद्ध नारे लगाने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1988--89 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1989

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1988--89) का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1989 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1988--89 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

विधेयक की प्रतियां वितरित कर दी जायें।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

(घोर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1988--89 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1988--89) का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री हर्षवर्द्धन, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री बालेश्वर सदन के फ्लोर पर खड़े रह कर प्रधान मंत्री के विरुद्ध नारे लगाते रहे)

खण्ड 2 व 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1988-89 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1989

31 मार्च, 1989 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य में चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1988-89 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 1989 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 1989 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची में स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से जिनका कुल योग 8,68,07,35,000 रुपये (केवल आठ अरब अरसठ करोड़ सात लाख पैंतीस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो। उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1988-89 के लिये 8,68,07,35,000 रुपये का दिया जाना

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं। विनियोग

अर्थ प्रदेश

अनुसूची
(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में) विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) ..	राजस्व	71,35	..	71,35
		पूंजी	..	..	..
3	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) ..	राजस्व	17,55,97	..	17,55,97
		पूंजी	..	..	..
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	29,76	..	29,76
		पूंजी	3,47,47	..	3,47,47
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	28,41	..	28,41
		पूंजी	44,22	..	44,22
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	36,63	..	36,63
		पूंजी	..	..	..
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	2,85,00	..	2,85,00
		पूंजी	7,06,00	..	7,06,00
8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	20,40	..	20,40
		पूंजी	..	..	..
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	1,00	..	1,00
		पूंजी	52,73	..	52,73
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	1,07,49	..	1,07,49
		पूंजी	2	..	2
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) ..	राजस्व	67,98	1,05	69,03
		पूंजी	55,77	..	55,77

उत्तर प्रदेश विधान सभा

12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	15,31,76	1,10	15,32,86
		पूंजी	2,34,93	..	2,34,93
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) ..	राजस्व	1,04,11,29	2,19	1,04,13,48
		पूंजी	7,00	..	7,00
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ..	राजस्व	8,30,46	..	8,30,46
		पूंजी	1,53	..	1,53
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	2,13,34	70	2,14,04
		पूंजी	1,28,13	..	1,28,13
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) ..	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	36,75	..	36,75
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	1,41,38	..	1,41,38
		पूंजी	..	..	..
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) ..	राजस्व	65,21	1,50,45	2,15,66
		पूंजी	32,31,27	1,23,77	33,55,04
20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	6,58	..	6,58
		पूंजी	18,62	..	18,62
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) ..	राजस्व	30,00	36,24	66,24
		पूंजी	8,94	..	8,94
22	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	9,42	4,63	14,05
		पूंजी	2,32,86,17	..	2,32,86,17
23	खेल विभाग	राजस्व	50,45	..	50,45
		पूंजी	36,15	..	36,15
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	72,32	..	72 32
		पूंजी	1,12,05	..	1,12,05
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	9,49	..	9,49
		पूंजी	6,66,03	8,18	6,74,21
26	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	2,38,89	..	2,38,89
		पूंजी	1,15,87	..	1,15,87

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में) विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	12,05,13	..	12,05,13
		पूंजी	2	..	2
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	5,91	..	5,91
		पूंजी	..	..	..
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	21,74	..	21,74
		पूंजी	..	..	..
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	1,45	1,45
		पूंजी	..	..	..
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	3,69,62	..	3,69,62
		पूंजी	27,32	..	27,32
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	2,95,44	4	2,95,48
		पूंजी	24,28	..	24,28
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	28,91	..	28,91
		पूंजी	..	..	..
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	8,19,29	..	8,19,29
		पूंजी	4,60	..	4,60
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	1,02,26	..	1,02,26
		पूंजी	47,08	..	47,08

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	4,99,57	..	4,99,57
		पूंजी	..	..	..
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	2,45,21	..	2,45,21
		पूंजी	..	..	..
39	नियुक्ति विभाग	राजस्व	2,50	..	2,50
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	4,38	..	4,38
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	8,61	77,18	85,79
		पूंजी	1,00,30	..	1,00,30
43	परिवहन विभाग	राजस्व	2	..	2
		पूंजी	15,43,12	..	15,43,12
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	25,28	..	25,28
		पूंजी	97,66	..	97,66
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1,27,51	1,50	1,29,01
		पूंजी	78,62	..	78,62
47	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	22,63,77	..	22,63,77
		पूंजी	17,58,56	..	17,58,56
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	3,02	..	3,02
		पूंजी	..	..	..
49	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	1,22,61	..	1,22,61
		पूंजी	3,77,81	..	3,77,81
50	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) ..	राजस्व	2,00,10	..	2,00,10
		पूंजी	..	..	..
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	15,47,30	73	15,48,03
		पूंजी	..	..	..
52	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	17,06	..	17,06
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची--(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में) विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
53	वन विभाग	राजस्व	37,45	..	37,45
		पूंजी	..	..	..
54	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1	16,59,69	16,59,70
		पूंजी	1,55,00	..	1,55,00
55	वित्त विभाग (प्रतिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	41,40,15	..	41,40,15
		पूंजी	..	..	..
56	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ..	राजस्व	49,53	..	49,53
		पूंजी	16,51	..	16,51
57	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	2,82,63	..	2,82,63
		पूंजी	1,66,22	..	1,66,22
58	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) ..	राजस्व	88,55	..	88,55
		पूंजी	2,39	..	2,39
60	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	1,20	..	1,20
		पूंजी	..	..	..
61	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	1	3,00	3,01
		पूंजी	..	..	..
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	43,58	..	43,58
		पूंजी	..	..	..
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	13,42,40	..	13,42,40
		पूंजी	80,00	..	80,00
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	31,08,27	2,00,00	33,08,27
		पूंजी	2,13,20	..	2,13,20

उत्तर प्रदेश विधान सभा

66	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	78,68,61	..	78,68,61
		पूंजी	..	..	98,54
67	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	98,54	..	..
		पूंजी	..	..	..
68	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	15,95	..	15,95
		पूंजी	3,00,00	..	3,00,00
69	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	50,11	..	50,11
		पूंजी	..	..	..
70	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	2,65,79	..	2,65,79
		पूंजी	9,58	..	9,58
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	5,06,55	..	5,06,55
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) ..	राजस्व	71,66	27,40	99,06
		पूंजी	65,72	..	65,72
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) ..	राजस्व	65,35	17,90	83,25
		पूंजी	8,61,03	..	8,61,03
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) ..	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	6,24,42	..	6,24,42
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) ..	राजस्व	14,00,00	..	14,00,00
		पूंजी	11,43	..	11,43
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	3,00,00	..	3,00,00
		पूंजी	34,50,03	..	34,50,03
78	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	2	..	2
		पूंजी	30,00	..	30,00
79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	राजस्व	1,63,21	28	1,63,49
		पूंजी	25,24	..	25,24
80	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) ..	राजस्व	6,60	..	6,60
		पूंजी	..	..	..
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पजीकरण) ..	राजस्व	51,20	..	51 20
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(समाप्त)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में) विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
82	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	4 65,13	..	4,65,13
		पूंजी	..	..	..
83	सतर्कता विभाग	राजस्व	29,34	66	30,00
		पूंजी	..	..	..
85	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	78,81	..	78,81
		पूंजी	..	..	..
86	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	8,95	7	9,02
		पूंजी	..	..	..
87	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	11,07	..	11,07
		पूंजी	..	..	..
88	सूचना विभाग	राजस्व	2,54,00	..	2,54,00
		पूंजी	46,00	..	46,00
89	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	64,07	4	64,11
		पूंजी	9,82	..	9,82
90	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) ..	राजस्व	31,54	..	31,54
		पूंजी	4,08,16	..	4,08,16
91	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) ..	राजस्व	13,13	..	13,13
		पूंजी	..	..	..
92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) ..	राजस्व	22,10	..	22,10
		पूंजी	..	..	..
	योग	राजस्व	4,48,65,33	21 86 30	4,70,51,63
		पूंजी	3,96,23,77	1,31,95	3,97,55,72
	कुल योग	..	8,44,89,10	23,18,25	8,68,07,35

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1988-89) का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1989 पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1988-89 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) (घोर व्यवधान)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को वक्तव्य के लिये और श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राम गोविन्द चौधरी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
17 मार्च, 1989

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव; विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10 पर)

मेंहदावल–लोहरसन मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम–साथा, परगना–बांसी पूरब, तहसील बांसी, जिला–बस्ती, में 3.391 एकड़ अर्जित की गई भूमि से प्रभावित व्यक्तियों की अर्जित भूमि एवं उसका निर्धारण प्रतिकर का विवरण (अता0प्र0सं0–9 का संलग्नक)

क्रम संख्या	नाम काश्तकारान मय वल्दियत	अर्जित क्षेत्रफल (एकड़ में)	दर प्रति एकड़	कुल देय प्रतिकर तथा प्रतिफल एवं जो भुगतान किया गया।	प्रतिकर वितरण की तिथि
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री:—				
1	(1) सुभाष चन्द्र पुत्र ओरी लाल (2) हरीश चन्द्र ,, (3) गिरीश चन्द्र ,,	0.39	14984-86	672.07	1-2-84
2	इन्द्रजीत लाल दत्तक पुत्र रामानन्द लाल	.090	12834.41	5756.23	22-10-82
3	गुरसहाय लाल पुत्र ठाकुर प्रसाद	0.39	12834.41	575.62	22-10-82
4	मुरारी लाल उर्फ लक्ष्मीशंकर लाल पुत्र राजकिशोर लाल ..	.086	14984.86	1482.01	22-10-82
5	सब्बीर अहमद	.164	8670.06	817.59	22-10-82
6	नसीर अहमद आ0 मोल्हू			817.59	22-10-82
7	मुरलीधर ..	.172	14984.86	1482.01	3-11-82
8	नरसिंह लाल आ0 रामशंकर लाल			1482.00	22-10-82
9	राम कुमार लाल पुत्र बसन्त लाल	.203	14984.86	3498.22	22-10-82
10	रणजीत लाल पुत्र चन्द्रवली लाल ..	.477	14984.86	8219.95	5-11-82
11	राम लखन लाल पुत्र मदन किशोर लाल ..	.188	14984.86	3239.72	27-10-82
12	सर्वजीत लाल दत्तक पुत्र महावल लाल	038	14984.86	654.83	8-11-82

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

13	(1) बेंचन ..	..	..	..		354.23	22-10-82
	(2) खीसू	अ0 जूठन	..	..	.072	12834.41	354.23	22-10-82
	(3) दलसिगार	..	..	..			354.23	22-10-82
14	तीरथ	पुत्र गौरी	..	..	.383	14984.86	3300.04	22-10-82
15	मु0 धनपाती बेवा छोटे लाल		..	..			3300.04	22-10-82
16	मुरलीधर लाल		..	..	.640	8670.06	3190.59	3-11-82
17	नरसिंह लाल	आ0 राम शंकर लाल	..	..			3190.58	22-10-82
18	सोमई	पुत्र जरई	..	..	.328	12834.41	4841.14	22-10-82
19	सूर्यबली	पुत्र करिया	..	..	.172	14984.86	2964.00	22-10-82
				योग ..	3.391		50546.92	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मेंहदावल लोहरसन मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम-लोहरसन, परगना-बर्सीपूरब, तहसील-बांसी, जिला-बस्ती, में 3.000 एकड़ अर्जित की गई भूमि से प्रभावित व्यक्तियों की अर्जित भूमि एवं उसका निर्धारण प्रतिकर का विवरण--(अ0ता0प्र0सं0--9का संलग्नक)

क्रम-सं0	नाम काश्तकारान मय वल्दियत	अर्जित क्षेत्रफल (एकड़ में)	दर प्रति एकड़	कुल देय प्रतिकर तथा प्रतिफल एवं जो भुगतान किया गया।	प्रतिकर वितरण की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	खरुल्लाह पुत्र रुआबअली	.072	16104.58	1333.46	22-10-82
2	गंगाप्रसाद पुत्र लल्लू	.266	16104.58	4926.39	21-10-82
3	नरेश पुत्र बुद्धू	.071	16104.58	1314.94	21-10-82
4	फखरुद्दीन पुत्र अलगू	.079	16104.58	1463.10	21-10-82
5	नरेश पुत्र बुद्धू	.047	16104.58	870.46	21-10-82
6	सफात पुत्र नसील	.329	1604.458	6093.17	21-10-82
7	(1) कासिम अली पुत्र पतीमुल्लाह	.423	16104.58	3917.04	21-10-82
	(2) जब्बार पुत्र अकबर .. .			3917.04	21-10-82
8	गंगाराम पुत्र घिन्नी	.235	17777.78	4804.45	21-10-82
9	घुपई पुत्र गजाधर	.040	16104.58	740.81	21-10-82
10	मुगरे आत्मज पोखई	.213	16104.58	1972.41	21-10-82
11	रमेसर			1972.41	21-10-82
12	लौटू आत्मज भगेलू	.290	13803.92	2301.80	21-10-82
13	लौटू " . ..			2301.80	21-10-82
14	वली मोहम्मद पुत्र सूबेदार	.173	16104.58	3204.00	21-10-82
15	मोहम्मद उमर पुत्र सरदार	.079	17777.78	1615.10	21-10-82
16	पारसनाथ आत्मज लखपत	.173	13803.93	686.57	21-10-82
17	शम्भूनाथ "			686.57	21-10-82
18	मु0 सरफराजी बेवा रुद्रनाथ			1373.15	21-10-82
19	कामता पुत्र बलिकरन			1947.28	21-10-82

अवध प्रदेश राजपत्र

20	लालसा	आत्मज ढोहे	..	..			973.64	21-10-82
21	वीपत	"	..	..			973.63	21-10-82
22	राम अचल	आत्मज भगवान	..	..	.368	13803.92	973.64	21-10-82
							973.6६	21-10-82
23	हंसराज	..	..	..	..			
24	मतरुक	..	..	..	.142	13803.92	2224.18	14-12-82 (आर. डी.)
				योग ..	3.000		53590.67	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

सूची

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पांचवें शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री यदुनाथ सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-71 के उत्तर से सम्बन्धित:—

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9-10-86 के प्रस्तर-1 के संबंध में जांचोपरांत यह पाया गया कि श्री सुरेश नारायण, सहायक अभियन्ता द्वारा श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य लिपिक को माननीय मुख्य मंत्री जी को उपलब्ध कराये जाने वाली सूचना के बिन्दुओं को लगभग दोपहर में नोट कराया गया। उक्त मुख्य लिपिक द्वारा अपेक्षित सूचना तत्परता से तैयार की गयी, जिसे उसी दिन सायं 5.00 बजे माननीय मुख्य मंत्री जी को उपलब्ध करा दिया गया।

प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र दिनांक 9-10-86 के प्रस्तर-2 के संबंध में स्थिति निम्नवत है:—

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	अवकाश प्रार्थना-पत्र प्राप्ति का दिनांक	अवकाश स्वीकृत करने का दिनांक	किस अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया।
1	2	3	4	5
	सर्वश्री—			
1	लक्ष्मी नारायण मल्ला (वरिष्ठ लिपिक)	24-7-84	17-8-84 (उपार्जित अवकाश)	श्री एस.के. अग्रवाल अधिशासी अभियन्ता
2	आर0पी0 वर्मा (वरिष्ठ लिपिक)	24-7-84	24-7-84 (आकस्मिक अवकाश)	तदैव
3	भगवती प्रसाद रस्तोगी (वरिष्ठ लिपिक)	24-7-84	24-7-84 (आकस्मिक अवकाश)	तदैव
4	एस0सी0 वर्मा (वरिष्ठ लिपिक)	24-7-84	7-1-85 (उपार्जित अवकाश)	तदैव
5	डाल चन्द्र सरोज (वरिष्ठ लिपिक)	24-7-84	24-7-84 (आकस्मिक अवकाश)	तदैव
6	प्रमोद कुमार (कनिष्ठ लिपिक)	24-7-84	24-7-84 (आकस्मिक अवकाश)	तदैव
7	श्रीमती कमला रानी (कनिष्ठ लिपिक)	24-7-84	3-8-84 (आकस्मिक अवकाश)	तदैव

निम्नांकित सात कर्मचारियों को चेतावनी दी गयी थी:--
सर्वश्री---

(1) सिया राम, लेखाकार
(2) राजेश नरायन, वरिष्ठ लिपिक
(3) वी0 एल0 गोवर, अवर अभियन्ता (प्राविधिक)
(4) युवराज सिंह, कनिष्ठ लिपिक
(5) मुरारी लाल, कनिष्ठ लिपिक
(6) सुरश चन्द्र, चपरासी
(7) सुभाष, वाटरमैन।

उपर्युक्त कर्मचारियों को चेतावनी दी गयी, परन्तु चेतावनी आदेश उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अतः यह पता नहीं चल रहा है कि चेतावनी की प्रति सम्बन्धित कर्मचारी की चरित्र-पंजिका में (न कि सेवा-पुस्तिका में) न रखने के क्या कारण है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

विन्दुवार विवरण

विधान सभा के प्रथम सत्र 89 के 5 वें शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री यदुनाथ सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-73 के उत्तर से सम्बन्धित:--

बिन्दु	विवरण
1--क्या श्री गोरखनाथ कक्कड़, आशुलिपिक की इस वर्ष प्रांतीय खंड लखनऊ या लखनऊ के वि0नि0ई नं0-1 में अथवा अन्य किसी कार्यकारी खंड में स्थानान्तरित किया जा रहा है।	1--विभागीय आदेश संख्या 892 सीजेडई 4 सी जेड. 70/86, दिनांक 10-7-86 द्वारा वि0नि0ई0 मार्ग-1, लखनऊ में स्थानान्तरित किया गया था।
2--क्या उक्त आशुलिपिक को इस वर्ष किसी अन्य अकार्यकारी खंड में तैनात किया जायेगा या नहीं।	2--विभागीय आदेश संख्या-232 सीजेड ई/7सी.जेड.-6-88, दिनांक 31-8-88 द्वारा उक्त आशुलिपिक का स्थानान्तरण भवन परिकल्पना खण्ड नं0-3 (अकार्यकारी) लखनऊ में किया जा चुका है, जहां वह 28-10-88 के पूर्वान्ह से अपना कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं।
3--क्या प्रश्न में वर्णित आशुलिपिकों का कार्यकारी खंडों में तैनात किया जायेगा। नहीं तो क्यों ?	3--स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यकारी खण्डोंमें स्थान रिक्त होनेपरतैनात किया जायेगा।
4--क्या इस अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। यदि नहीं तो क्यों ?	4--पूर्व में वेतन देयक को देखे बगैर अपूर्ण सूचना देने के लिए प्रांतीय खंड, लखनऊ के मुख्य लिपिक को सचेत कर दिया गया था, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
5--क्या दो वर्ष से कार्यरत अकार्यकारी खंडों के आशुलिपिको को कार्यकारी खंडों में तैनात किया जायगा यदि नहीं तो क्यों ? जो कि स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आते हैं ?	5--स्थानान्तरण नीति के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि अकार्यकारी खंड से कार्यकारी खण्ड में दो वर्ष में स्थानान्तरण कर ही दिया जाय। नीति के अनुसार स्थान उपलब्ध होने पर स्थानान्तरण किया जाता है।

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0 47 विधान सभा (74)-1989-813।